The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU: Sir, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION AMEND-MENT) BILL, 1988 (OMISSION OF ARTICLES 256, 257 AND 3F5)

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU: I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 1988[1] *(to amend the Seventh Schedule)*

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU: I introduce the Hill.

THE MARRIED WOMEN (PROTEC-TION OF RIGHTS)) BILL, 1988

SHRIMATI VEENA VERMA (Madhya Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to protect the rights of a married[1] woman and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, I introduce the "Bill.

THE NATIONAL HONOUR AND IN-TEGRITY (PROTECTION) BILL, 1987 —Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): We shall now take up further consideration of the National Honour and Integrity (Protection) Bill 1987. Shri V Gopalsamy to continue his speech.

*SHRI V. GOPALSAMY (Tamill Nadu); Mr. Vice Chairman, Sir, when *T,* was speaking on this very Bill on the 26thi of last month, Hon'ble member, Mr A. G. Kulkarni asked, whether Tamil is a sweet language or a difficult language. For conveying sweet messages, there is no language as sweet as Tamil. But when we speak out our heart writhed in anguish, the diction changes and the words gush out like gale. A poet said:

Yamarindha Mozhigalilae Thamizh Mozhibhol Inidhava Dhengum Kanom
Thae Mathura Thamizhosai Ulaha-melam Paravum Vagai Seidhal Vaendum.

The translation goes thus:

Of all the languages I know, there is none as sweet as Tamil;
Oh, do come, take this euphonic sweetness of Tamil to all corners of the World.

Tamil is the most aneient of all classical languages. The extant treaties on Tamil grammar *Thalkapium* was written some 5000 years ago. When, in the primitive society, human beings were wandering in different parts of world, conveying the message to each other by way of signs-for they had no dialect-our Tamil had an elaborate treatise on grammar. We have another brilliant piece of literature entitled *THIRUKKURAL* written 2000 years before. There is no book in any language, so terse and profound that speaks of morality with glowing radiance of lofty wisdom, than *THIRUKKURAL,* the Holy book of the Tamils. Our Tamil has been declared as the most ancient language brushing aside the claims of classical languages like Greek, Latin, Hebrew[1] and Sanskrit. The ideologies pronounced in the ancient Tamil literature are far richer than the ideologies given out by Greek, Latin, Hebrew and Sanskrit because, in the corpus of ancient Tamil literature one can find a code of conduct for the entire mankind applicable to all times. To cite an example I wish, to re-

♦English translation of the original speech delivered in Tamil.

[Shri V. Gopalsamy] cite a couplet for *THIRUKKURAL.* The couplet goes:

Inna Seidharai Oruthal Avernana
Nannayam Seidhu Vidal.

The translation goes thus:

To punish one who did harm unto three
do unto him all good that he be ashamed
and learn thus.

Such code of morality, evolved in our culture was recorded in our literature 2000 years before. Such sparkling pieces of literature are abundant in Tamil. That is why we have mounting and earnest desire to see Tamil as one of the official languages of this country: this is our unquenchable thirst. The sense of belonging to the nation, the feeling that we are equal citizens in this country would have to be assimilated in the natural process for which a congenial atmosphere has to be created: nobody can ever inject these feelings into the individuals But unfortunately, those people living in TJtiar P[fa]" desh, Madhya Pradesh, Bihar, Delhi and the surrounding Hindi belts feel that only this part of the country is 'India'. This kind of feeling is alarmingly increasing day by day. They want Hindi to be the only Official language of the country because they say English is a foreign language. Hon'ble members Mr. Vikal and also Mr. J. P. Yadav speak on this issue almost everyday. If English is foreign to you, Hindi is foreign to us. English is the language of) the world. It is the window to all knowledge of the world. An invention in a corner of world is carried to another corner through English language, in the next second. While this being the fact, I am bewildered as to why you want to impose an undeveloped language on others. My late lamented leader Dr. Anna praised the chaste Hindi of Mr. Vajpayee on the floor of this august House. But the Hindi spoken by a rickshaw puller in some part of Uttar Pradeshj is entirely different. And the Hindi spoken in one part of Bihar cannot be understood in another part of Bihar. But they are all out to impose this Hindi on others. I would like to ask an apposite question. Is language a hurdle to our ! progress? Poverty is our problem, death I due to starvation is our problem and unemployment is our problem. Is iauguage a sumbling block in solving these problems? Is there any other problem just because we have not yielded to the imposi-p tion of Hindi? Why should we waste our time on this? Even though Pt. Jawahar Lai Nehru had difference of opinions on various issues, he chose to write two of his famous books. *The Glimpses of World History* and *the Dis--covery of India,* in English. These twa books are his golden treasures today.

I am reminded to point out one thing. The people of North-Eastern States have not agreed to the imposition of Hindi. I ask my Hon'ble congress friends. Will they dare go to Tripura or Meghalaya or any other North-Eastern State and tell from the political platform during election campaign that Hindi will be the Official language and all should accept it? They will never say. Those who say that English is a foreign language, often forget that it is the mother tongue of Anglo-Indians, who are the citizens of this country.

The deliberate attempt to drive out English to make way for the imnositiou of Hindi will do irrepairable damage to the unity of this country In Switzerland there are four Official languages and they are given equal status. Develara who led the independent struggle in Ireland said, he was fighting for the liberation and renaissance of his Gaelic language. So also, it is our long cherished wish that our mother-tongue should become an Official language of this country. The mother-tongues of all other communities should also become Official languages. The people in Delhi fail to understand our difficulties. Even those who know English in this capital city, refused to talk to us, the non-Hindi speaking people, in English. We are treated like second class citizens. On coming to Delhi, I feel that I am in a foreign country. I do not feel that I am in the Capital of my own country. Such is the degree of Hindi fanaticism

here. And the Home Ministry functions as the spout hole of Hindi Chauvinism. Delhi has become the fountain head of Hindi jingoism.

All along we have been telling that English should continue to be the link language till such time all the regional languages are accepted as Official languages. Turning a deaf ear to this, they spoke of three-language formula for sometime. This formula is a total humbug. It is but a sinister design to bulldoze Hindi on non-Hindi speaking people. Do the people in the North—the Hindi belt, study any other Indian language than Hindi? Therefore, having weighed the merits and demerits in the interests of the unity of our country, we say, very assertively that our Tamil should become an Official language. Till that day dawns, let English continue as the link language. Those who speak English may be less in number. But the disadvantages will be evenly distributed. This is our stand. Whenever we articulate our views we are accused as anti-nationals. It seems they have an altogether different concept of patriotism.

Sir, I was refering to the National flag in the beginning of my speech. While adopting the National flag, the Congress people very cleverly choose the same three colours that are in the Congress Flag so that they both would resemble each other. But it has turned out to be counter productive. The people who honour the National Flag are sometime confused. When Ministers go to functions with the National Flag in their Official cars, the agonised people pelt stones at them mistaking the National Flag for the Congress Flag. So if you sincerely wish that people should honour the National Flag, the colour of the Congress Flag should be changed. If you are unwilling for that, atleast change the colour of the National Flag. You have to do either of the two.

An Hon'ble member said that our party, D.M.K., disrespects the Constitution. I would like to ask; is Constitution a Holy Book? How many times you have amended the onstitution? It is not a sacred document. There is no scarosanct element in it. So, what is the wrong in asking for an amendment? After all what we asked was an amendment in the Constitution. Some Hon'ble members wondered, how D. M. K. declared to observe the 'Republic Day' as 'Black Day'. wish to make this point very clear. Leader of B.I.P., Mr. Vajpayee and also the leader of various political parties told us not to observe the 'Republic Day' as 'Black Day' this time because, we could be misunderstood. So, we launched an agitation on the 25th: lanuary, a day before the Republic Day-We expressed our sense of grief and ventilated our simmer. We did so because it was not our intention to show disrespect to the nation on the Republic Day. Republic Day is being celebrated all ever India. Tamilnadu with a population of 5 crores of people form part of India. The Tamils in India have their blood relations in Sri lanka. When those Srilankan Tamils, our brethren, are fighting for their rights, the Indian Army, instead of protecting them, is killing them mercilessly. At a time when our hearts were bleeding and our eyes shedding tears, was it necessary and proper on the part of the Central Government to have invited Jayewar-dene on the Republic Day as the Chief Guest? What was the necessity of inviting and treating him as an Honoured Guest for six days? It proves beyond any doubt that you do not respect sentiments; you do not think that we are the citizens of this country. I am a tax payer. My contribution as tax also goes to the expense on our Armed Forces. But what have you done? You have sent about one lakh troops to Srilankai only to kill hundreds of our youths everyday. Our Indian soldiers are also dying. But I ask you, are they dying to defend our borders? They are dying because of the arrogance and adamant attitude of Mr. Rajiv Gandhi and the wrong approach of the Centre.

Mr. Vice Chairman, Sir, even today, our old mother, Mrs. Annammah David is on fast unto death in Srilanba. That

[Shri V. Gopalsamy]

old mother may die today or tomorrow. While Mr. Rajiv Gandhi was replying toi the discussion on the motion of thinks on the President's Address, I asked if he would go in for talks to save the life of the fasting mother. But, the Hon'ble Prime Minister did not reply. Sir, in this context I have to refer to the Indian High Commissioner in Colombo Mr. I. N. Dixit. He is an impudent person whoi makes statements that do not accrued toi his status as diplomat. Mr. J. N. Dixit has gone on record saying that the leader of LTTE Mr. Prabakaran is instigating old people to go on fast. Ou^ leader, the D.M.K. President |Dr. Kalaignar M. Karunanidhi gave a fitting answer and an-nuled this insinuation. He remained that the Father of the nation, Mahatma Gandhi, was quite old when he undertook Dandi March. When I speak of Dandi March I cannot resist my temptations of referring to the extravaganza by Mr. Rajiv Gandhi in the name of re-enacting the Dandi March to commemorate that great occasion. Mahatma Gandhi was a great patriot who held the interests of the nation above everything. He has become an immortal symbol of supreme sacrifice among the people of India. Knowing full well that his life was in danger, Mahatma Gandhi did not care for his security,. All along, he led a very simple life. But Mr. Rajiv Gandhi, who is re-enacting Dandi March, is going on spend-ing-spree in the name of security. Where-ever he goes, rwhether by air or by land, crores of rupees are spent. Does Mr. Rajiv Gandhi have the grace to re-enact the Dandi March of Mahatma Gandhi? The only point is that Mr. Rajiv has got the title 'Gandhi' suffixed to his name. They are very clever people. Mr. Vaj-payeeji! The foreigners world over are under a wrong notion that Mr. Rajiv Gandhi is the grandson of Mahatma Gandhi. I am also apprehensive that those ladies who have come from foreign countries and got the title 'Gandhi' suffixed to their names could be misunderstood as the great-grand daughters of Mahatma Gandhi.

What I wish to bring home in this, that even such great Mahatma Gandhi was not just 20 or 25 years old when he undertook the Dandi March.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAH1): *I* would like to know what we are discussing.

SHRI V. GOPALSAMY: I am telling you, Mr. Panigrahi,...

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: This is a Bill.. .

SHRI V. GOPALSAMY: Yes, it is a Private Member's Bill. When the previous speakers spoke—that day you were not here—they heavily criticised my party, our political party, the DMK Party because we had arranged some protest march against this Government for having invited Jayewardene on the Republic Day. They condemned us. We are not honouring this Constitution, we do not honour the National Flag, we do not honour the Republic Day—all these charges have been levelled against us. So, this is my turn. They' have to receive it. If they rub me on the wrong side, they will get it doubly. Mr. Panigrahi, please listen to me. Troth is always bitter.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Mr. Gopalsamy is very sweet outside this House, but he is so bitter here, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): He says that Tamil is the sweetest language. So, you have to listen to him.

SHRI V. GOPALSAMY; Therefore, Mr. Vice-Chairman. Sir, I would like ta ask whether Mahatma Gandhi was young when he went on fast. But the Indian High Commissioner in Srilanka, Mr. J. N. Dixit ridicules an old mother who is fasting unto death. Was Potti Sriramulu young when he went onl$_L$fast in Andhra Pradesh? Was Sangaralingam Nadar young when he went on fast in Andhra the erstwhile 'Madras State' to be named as Tamilnadu'? Sir, the kind of gaffe that Mr. Dixit and the Central Govern-ment are indulging in, only fuels our

anger-opening the wounds. I want to tell my Hon'ble friends. If you want to force the people to honour the National Flag or the constitution by wielding lathi or pointing gun, you can never do it, come what may. That feeling has 'o come spontaneously. Only when we feel that we are equal citizens and we are treated alike, the sense of belongingl and honouring the nation will emanate. And the unity can be protected only in diversity. I made this point very clear in the beginning itself. It was the Britishers who brought the tiny kingdoms together and called the conglomeration 'India'. The Congress that is in power today is not the Congress that fought and got us Independence. So, if you want the people to respect the National Flag and the Constitution, you should treat all the citizens of the country alike. Actually I thought of taking more time. But, Mr. Vajpayee's Constitution Amendment Bill is about to come up for discussion today. Fortunately, Mr. M. M. Jacob has agreed to take up this Bill. Otherwise it is very difficult to take up Private members' Bill for discussion. You all know that my Bill was never taken up. As Mr. Vajpayee's Bill is being taken up for discussion today. I don't want to take more time of the House. Again I would like to remind one thing. Unity and Integrity should be spontaneous and that could be fostered only in diversity. Nothing can be bulldozed on the people. While we respect the National Flag we shall continue to fight for our rights. Therefore, there is no need of a Bill to protect the sanctity of National symbols. The Government also should not think of threatening or compelling people by way of legislation to respect the symbols, for this feeling has to be voluntary. A conducive climate has to be created for this purpose. This responsibility is with those in power at the Centre; whether it is Congress (I) or any other party. I say so because we had Mr. Morarji Desai as the Prime Minister for some period. He is known for his adamant and unyielding attitude in imposing his wishes on the people. As such, whoever comes to power at the Centre should respect the sentiments of all the lingual communities and treat them alike. I only echo and reiterate the views of Dr. Anna, that were expresed by him on the floor of this House. Even today this is the stand of D.M.K. I am also happy for having spoken in Tamil here for the first time in ten years.

Thank you.

श्री धर्मचन्द्र प्रशांत (जम्मू और कश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक संसद के सामने है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत केरल में हुयी घटना से हुयी है । वहां के कुछ लड़कों ने राष्ट्रगीत गाने से इन्कार कर दिया था । इस प्रकार की घटनायें कहीं-कहीं सुनी गयी हैं । एक बच्चा जब इस देश में पैदा होता है उसके बाद जब वह होश संभालता है, बोलने लग पड़ता है तो उसके माता पिता का कर्तव्य है कि उसको समझायें कि सबसे बड़ी बात जो देश के लिये है वह देश प्रेम है, देश का मान बढ़ाना है । पर तु हमारे देश में कुछ ऐसी घटनायें हो रही हैं । अभी कुछ और सदस्यों ने भी इस बारे में कहा हैं । कुछ दिन हुये मुझे एक टेलीफोन आया । एक बच्ची थी शायद 7—8 वर्ष की । उसने पूछा आप कौन बोल रहे हैं । मैंने कहा कि आपने किस को बुलाया है । लेकिन उसने कहा, मैं पूछती हूं कि आप कौन हैं और मेरा नाम यह है, आप कौन हैं । मैंने कहा कि मैं एम० पी० हूं । तो बच्ची ने कहा

THE VICE-CHAIRMAN: (DR. BAPU KALDATE): So many 'foots'. 3 P.M.

श्री धर्मचन्द्र प्रशांत : मैंने उससे कहा कि तुम्हारा कोई पिता होगा, उसको टेलीफोन दे दो । उसने दिया । मैंने उसको कहा कि आप यह सबक अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, यह कहता हैं "एम०पी० माई फुट" । इस पर वह भी कहता हैं "धस माई फुट आलसो" । अब हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं तो ऐसे हैं ही, पर अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं ।

[श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त]

मेरी लड़की लंदन में रहती है । उसने मुझे सुनाया, यह 5—10 साल की बात है, वहां "हरे रामा, हरे कृष्णा" का जुलूस निकल रहा था उसमें सारे विदेशी थे, कोई उनमें भारतीय नहीं था । वह हाथ में वीणा, ढोलक लेकर नंगे पांव, धोती पहने गाते जा रहे थे तो कुछ जो लंदन के रहने वाले थे, वह उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, परन्तु जो हमारे भारतीय थे, वह उन पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि यह पागल हैं ।

तो मेरी लड़की ने कहा कि देखो अगर विदेशियों ने हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को पहचाना है और उसको अपनाया है, तो तुम उनको पागल कह रहे हो । वह लोग नहीं कह रहे हैं । उसने लन्दन के पेपर में छपी एक तस्वीर निकाली जो उसके पर्स में थी । उसमें मारग्रेट थैचर, प्रभुपाद ब्रह्मचारी, जो रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर थे...

उपसभाध्यक्ष (डा० वा कालदते) : प्रभुपद स्वामी ।

श्री धर्मचन्द्र प्रशांत : ... उनके आगे दोनों हाथ जोड़ करके मारग्रेट थैचर खड़ी हैं नहीं, बैठ गई और क्वीन एलिजाबेथ, उसने भी दोनों हाथ जोड़े हुये हैं । उसने कहा कि देखो यहां की जो साम्राज्ञी हैं और यहीं की जो प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं और तुम उनको पागल कह रहे हो ।

तो इस प्रकार की घटनायें हमारे मुल्क में हो रही हैं । सब से बड़ी बात यह है कि इस देश का राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गीत इनका हरेक को सम्मान करना चाहिए और बाहर जाकर भी इसका सम्मान करना चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं है । अभी कुछ वर्ष पहले जो सिनेमा थिएटर्ज हैं, उनमें रखा गया था कि जब फिल्म खत्म हो, तो राष्ट्रीय झंडा आ जाता था और कहा जाता था कि सब खड़े हो जायें और कोई जाए नहीं । परंतु हमने सिनेमा में जाकर देखा कि 5–10 आदमी खड़े होते थे, बाकी सब भाग जाते थे । फिर उनको गेट बंद करना पड़ता था ।

उसी प्रकार से हमारा राष्ट्रीय गीत है । वह बहुत बड़े व्यक्ति का लिखा हुआ है गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर का । इस गीत का भी जहां कहीं सोसायटी में फंक्शन हो, वहां तो लोग खड़े हो जाते हैं, परंतु मैंने कुछ लोगों को देखा है कि टी.वी. पर या अगर कहीं राष्ट्रीय गीत होता है, तो वह खड़े हो जाते हैं । परंतु कई ऐसी फैमिलीज में जाकर देखा है कि कोई भी वहां परवाह नहीं करता है । गीत चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई दौड़ रहा है, इधर-उधर चल रहा है । तो राष्ट्रीय गीत का जो महत्व है, वह हम अपने बच्चों को भी सिखायें, लेकिन हम सिखाते नहीं हैं । हमारा राष्ट्रीय गीत 1947 में आया, उसके पहले बंदे-मातम था । उसके लिए हमारे देश के लोगों ने सेक्रेफाइसिज कीं हैं, लाठियां सही हैं, फांसी पर चढ़े हैं, गोलियां खाई हैं इस गीत के लिए । यह दूसरा गीत है । हमारे राष्ट्रीय गीत का भी उतना ही महत्व है जितना कि बंदे-मातम का है । इसलिए कि यह हमारे विधान में है, सो हम इसको बड़ा महत्व देते हैं । परन्तु बंदे-मातम का भी महत्व है क्योंकि इसकी बैकग्राऊंड बड़ी है, इसकी बड़ी पृष्ठभूमि है ।

इसलिए मेरा कहना यह है कि हम लोगों में कोई ऐसी धारणा पैदा हो ताकि हम समझें कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है और राष्ट्रीय गीत का यही नहीं कि हम सार्वजनिक सभाओं में ही जाकर उसका पालन करें । अगर हम घर में बैठे हैं, वहां भी ऐसा करें ताकि हमारे बच्चे उससे सीख सकें कि राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गीत का कितना सम्मान है और इसका महत्व कितना है । इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल

नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी यही कहा करती थीं कि जो लोग बाहर जाते हैं, वह तो हमारे यहां के एम्बैसेडर हैं। भारत के राजदूत हैं- यह नहीं कि यहां रह रहे हैं आप राजदूत हैं और यहां आकर भारत का सम्मान बढ़ायें लेकिन जो बाहर लोग जाते हैं कितना सम्मान बढ़ाते हैं? उनका गिना गए तो गंगाराम का हिसाब होता है बाहर जाकर भी यदि हम अपने देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ायें तभी हम भारतवासी कहला सकेंगे अपितु नहीं। इसलिए हमें कोई ऐसे पग उठाने चाहिए जिससे भारत का सम्मान बढ़ाने की भावना हमारे अन्दर पैदा हो और अपनी सन्तान के अन्दर पैदा करे देश तभी उन्नत हो सकेगा और विदेश में तभी उसका सम्मान बढ़ सकेगा। परन्तु यह जो मैंने अपनी घटनायें सुनाई हैं कि बार कहता है यस डाटर उसने कहा माई टफ्! I also call, my foot. तो इस प्रकार यह क्यों हो रहा है। इसका परिणाम तो जो होगा देखा जाएगा पर उसके कारण क्या हैं? कारण यह है कि हमें वह शिक्षा नहीं मिल रही है जो शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। जिसे न देश न भाषा न जाति का अभिमान है वह नर नहीं नरपशु है निरा मृतक समान है। आज हम अपने देश की भाषा को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। मैंने उस दिन इसी भवन में कहा था कि Sanskrit is the mother of all the languages. तो हमारे तमिल वाले मेरे विरोध में खड़े हो गए। तो हमारे जितने भी लोग हुए हैं, नेता हुए या एकेडमिक लीडर्ज हुए हैं स्कालर हुए हैं उन्होंने संस्कृत का बहुत प्रभाव बताया बहुत ही महत्व बताया। स्वयं राजगोपालाचारी जी ने कहा कि Sanskrit is the mother of all the languages डा. राघवन जो तमिल के थे मद्रास यूनिवर्सिटी में संस्कृत के हैड आफ डिपार्टमेंट उनके लेख हैं, मेरे पास स्पीचेज पड़ी हैं उन्होंने कहा है हमारा सम्मान, मेरे साथ एक ट्रेवल कर रहा था एक अमेरिकन प्रोफेसर था। तो उसने मुझे कहा कि देखिए मैं भारत में आया हूं I have come in India, I have raised my had on one reason mainly.

मैंने कहा कौन सा रीजन है? Hd said, our Americans have launched on moon. The greatest scientists the world has produced even Einstein was an American. In most of the technologies, we are going ahead. In scientific inventions, w; are ahead.

पूछा कि आप बताइये कि आप किसलिये सिर उठा सकते हैं किसी मुल्क में जाकर, तो मैंने कहा कि हम सिर उठा सकते हैं अपने वेदों के लिये, उपनिषदों के लिये ब्राह्मण ग्रंथों के लिये, रामायण और महाभारत के लिये हम सिर उठा सकते हैं। आप बतायें यह ऋग वेद कब लिखा गया। लिखा तो यह गया नहीं, यह उस वक्त कंपाइल किया गया जब लिखने की कला ही नहीं थी क्योंकि ऋगवेद में कहीं लिखित शब्द नहीं है सित नम इसका जो पर्यायवाची शब्द है लिखित है नहीं वेदों में और उसका जो पढ़ने का तरीका है, वह भी वही बताता है। तो अब ऐसे समय में अगर आप वेद पढ़ें तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे-ऐसे सिमिलीज मेटाफर्ज दिये हैं हमारे जो 5–6 हजार वर्ष पहले ऋषि थे उनको कितना ज्ञान था, हमें आज उसका पता नहीं है। अपना जो धार्मिक साहित्य है हमें उसका ही पता नहीं है। हम अपने बच्चों को पूछें तो वे शेक्सपीयर का नाम ले लेते हैं लेकिन कालिदास के बारे में उन्हें अधिक पता नहीं है। मेरे पास एक विद्यार्थी आया। मेरे पास कालिदास ग्रंथावली पड़ी थी। वह कहने लगा कि यह क्या है? मैंने कहा कि यह कालिदास ग्रंथावली है। उसने कहा कि यह कौन था? मैंने कहा कि यह यहीं का था, पता नहीं

[श्री धर्म चन्द्र प्रभाकर]

तुम्हें, तुम हिन्दुस्तानी हो। कहने लगा, नहीं जी, हमको तो शेक्सपीयर का पता है। मैंने कहा कि शेक्सपीयर का क्यों पता है ? जी वह जो बड़ा नाटककार था। मैंने कहा उसने कितने नाटक लिखे तो वह बता नहीं सका। मैंने कहा कि तुम्हें यह पता है कि शेक्सपीयर ने कितने नाटक लिखे ? वह यह नहीं बता सका कि उसने 34 नाटक लिखे हैं। उसमें ट्रेजडीज कितने हैं और कामेडीज कितने हैं। तुम्हें इतना पता नहीं। लोग कहते हैं कि यह भी कोई शायर था कालिदास इससे ज्यादा पता नहीं है। और वह एम.ए. था, पता नहीं किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री की एम. एस.सी. की है। और देखो, हमारा जो ज्ञान है इतना लिमिटेड हो गया है कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, उसको ही हम नहीं जान सकते हैं। धर्म क्या है, उपसभाध्यक्ष महोदय, इसका जानना भी बड़ा आवश्यक है। धर्म का अर्थ रिलीजियन या मजहब से उसका अर्थ नहीं है बल्कि धर्म एक बड़ा व्यापक शब्द है, उसमें रिलीजियन भी आ जाता है, परन्तु उसकी इतनी व्यापकता है कि अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो वह रक्षित धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर धर्म को हम मार डालते हैं तो वह मरा हुआ धर्म हमें मार सकेगा। तो जब तक हम इन चीजों का अनुकरण नहीं करते, हम अपने देश, अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम जा रहे हैं विदेशियों के पीछे अपनी संस्कृति को छोड़ते हुये। आज मुझे एक बात और कहना है कि संस्कृति का अर्थ हम लगाते हैं नृत्यगान से। यह नाचना और गाना हमारी संस्कृति नहीं है, यह आर्ट है, कला है। भारत की संस्कृति परमार्थ, त्याग और तितिक्ष है। नृत्य और गान तो कला है, जो परम्परा से चल रहे हैं और और चलेंगे, परन्तु यह तीन बातें परामर्थ, त्याग और तितिक्ष यानी सेल्फ टोलरेंस और परमार्थ यानी दूसरे पर उपकार करना। इन चीजों को हम भूल रहे है। आज हमको 40 वर्ष हो गये, स्वराज्य मिले हुये। स्वतंत्र भारत में हम इस ओर कितना बढ़े हैं ? हम बढ़े नहीं हैं, घट रहे हैं, पीछे जा रहे है। आज हमारी वह स्नेह की भावना, हमारे अन्दर जो भ्रातृत्व भाव था, वह घट रहा है। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आज आदमी आदमी को मार रहा है, पैसे के पीछे हरेक की टांग खींची जाती है और तबाह करने की कोशिश की जाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा भारतवर्ष एक राष्ट्र है। मैं भारत में बहुत घूमा हूं हर जगह गया हूं। मैंने राज्यों में देखा है मुझे यह लगा है, वहां के लोगों को सुना है कि मैं उस राज्य का रहने वाला हूं, इंडियन पीछे हूं। तो जब तक हम यह न कहें कि आई एम इंडियन फर्स्ट, देन तमिल, सिंधी या बंगाली, अदर्स, तब तक हम समझेंगे कि हम भारतवासी नहीं हैं। भारतवर्ष को उजागर करना है तो कहना होगा—फर्स्ट आई एम इंडियन देन बिलोंग टू अदर्स। अब हमारे यहां के लोग जो बाहर चले जाते हैं विदेशों में वहां भी उनसे पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि मैं वहां का रहने वाला हूं वह यह नहीं कहते कि मैं भारत का रहने वाला हूं। वहां के लोग जानते नहीं, जब पूछते हैं तो फिर कहते हैं, डिटेल देते हैं कि फलां स्टेट का रहने वाला हूं, जो इंडिया में है, इस तरह चलता है।

तो सबसे बड़ी आवश्यकता आज यह है कि हम में देश के प्रति श्रद्धा, निष्ठा पूरी हो, इस देश का ध्वज ऊंचा हो, उसके लिए हमारे मन में सम्मान हो और वह बनावटी न हो। हमारे देश की भाषा संस्कृत तो हो नहीं सकती, हिन्दी हमारी राज भाषा है। आप जहां जायें, हिन्दी समझने वाले मिलेंगे। मुझे कोयम्बटूर जाने का मौका मिला, वहां मुझ से एक महिला मिली, उसने कहा कि मैंने हिंदी में तीन परीक्षाएं की हैं। मैंने उससे कहा कि तो मेरे साथ अंग्रेजी क्यों बोल रही हो ? उसने बताया कि मैं हिन्दी बोलना चाहती हूं, लेकिन यहां बोलने वाला कोई नहीं है और न ही कोई बोलना चाहता है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं, नहीं होनी चाहिए। हम भाषा के प्रति, राष्ट्रीय-ध्वज के प्रति राष्ट्रीय-गीत के प्रति, राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा करें, अपने आप करें और अपनी संतान से करवाएं। यही प्रचार होना चाहिए। अगर यह प्रचार नहीं होगा तो हम देश के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।

डा० एम० हाशिम किदवई (उत्तर प्रदेश) : बाइस चेयरमैन साहब और दोस्तो, सबसे पहले तो मैं....

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : सम्मानीय सदस्यों कहिए ।

डा० एम० हाशिम किदवई : मोअज्जिज मेम्बरान, सबसे पहले मैं अपने लायक दोस्त जनाब पंडित शिव कुमार मिश्र साहब को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बड़े अहम मामले के बारे में यह बिल पेश किया । आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा और अहम तरीन मसला यही है कि किस तरह से हम अपने मुल्क व कौम की इत्तहाद और इसकी यकजहती कायम रखें । बड़े ही अफ्सोस की बात है कि आज हमें आजाद हुए आज 40 वर्ष हो गए और आज हम दुनियां की सबसे बड़ी पार्लियामेंट की जम्हूरियत हैं और जिस पर हमें फक्र है, लेकिन इसके साथ-साथ बड़े ही अफसोस की बात है कि 40 साल के बाद बजाय इसके कि हम एक मजबूत कौम होते और हम अपने कौमी झंडे अपने कांस्टीट्यूशन और अपने कौमी गीत का इकरार करते हैं आज हम मजहब जात-प्रांत और सुबों के नाम पर टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं । इससे बढ़कर बदनसीबी और क्या होगी । हम लोगों को यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर उसी वक्त तक है जब तक कि हमारा मुल्क एक है और इस बारे में मुझे यह शेर याद आ रहा है कि, "न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालो, दास्तां तक भी न होगी तुम्हारी दास्तानों में ।" अगर हम एक न रहे, अगर हम में इत्तहाद न रहा तो हम मिट जाएंगे । इसलिए वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारी कौम में पूरा-पूरा इत्तहाद हो । हर कौम में कौमी इत्तहाद और कौमी अजमत की कुछ निशानियां होती हैं जिनको कायम रखकर और बर-करार रखकर ही मुल्क आगे बढ़ सकता है । इसमें सबसे बड़ा दर्जा हमारे कौमी झंडे का है, हमारी कौमी तहजीब और हमारे कांस्टीट्यूशन का है । आज जैसाकि अभी मुझसे पहले के स्पीकर ने कहा कि हम फक्र इस बात पर करते हैं कि हम किस स्टेट के हैं और इस पर हम फक्र नहीं करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं । आज जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले इस बात पर फक्र करें कि हम हिंदुस्तानी हैं और किसी सूबे या रियासत से हमारा ताल्लुक होना या किसी जुबान से ताल्लुक होना—यह सब दूसरे दर्जे की चीजें हैं । बिला शुबह इन चीजों का भी अपनी अपनी जगह पर मुकाम है । हमारे कांस्टीट्यूशन ने हर जुबान को जगह दी है । हमें इसे न भूलना चाहिए कि हमारी खुसुसियत यह रही है कि "यूनिटी इन डायवर्सिटी ।" तो हमें बजाय यह कोशिश करने के कि यूनिफार्मिटी हो, कोशिश यह करनी चाहिए कि यूनिटी हो क्योंकि हमारा अजीज मुल्क एक ऐसा बाग है जिसमें हर किस्म के फूल हैं और इनको पूरी तरह से फलने-फूलने और तरक्की का मौका मिलना चाहिए । हमारे मुल्क की आज यह बड़ी खसुसियत है कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी और उनसे पहले हमारे तमाम बड़े-बड़े संत बड़े-बड़े सूफी गुरुनानक, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती अजमेरी—सब लोगों का पयाम यही रहा है कि सब लोग मिलकर रहें और अपने को इस मुल्क का नागरिक समझें । इसी के साथ-साथ मौलाना आबुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये सब वे लोग थे जो एक तरफ मजहब मानने वाले थे लेकिन उनकी सारी जिंदगी कौमी इकजहती का नमूना थी कि कैसे सब मिलकर रहें । हमारे सामने सबसे बड़ा मकसद यह है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी बनें और साथ-ही-साथ अपने मजहब पर चलें । इन दोनों चीजों में कोई कांट्राडिक्शन नहीं है । कानून के साथ-साथ इसकी भी जरूरत है कि इन सब चीजों को उजागर किया जाय । शुरू ही से हमारे बच्चों को इसकी तालीम दी जाए कि वे इस बात पर फक्र करें कि वे हिंदुस्तानी हैं और भारतवर्ष के सपूत हैं और वे इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं । जब तक यह जज्बा और यह स्पिरिट नहीं पैदा होगी हमारी कोई हैसियत नहीं रह सकेगी । हमारी नई जनरेशन को शुरू से यह तालीम मिलनी चाहिए कि वह इस बात को महसूस करें कि हमारा कौमी झंडा हमारी कौमी इज्जत, हमारी अजमत की

[डा० एम० हाशिम किदवई]

निशानी है और इसके लिए हजारों-लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जानें दी हैं । आज भी दुनिया की जितनी कौमें हैं वे अपने झंडे की एहतराम के लिए बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं । यही जज्बा हम हिन्दुस्तानियों में भी होना चाहिए ।

यह बड़े अफसोस की बात है कि 40 वर्ष गुजर जाने के बाद बजाय इसके कि हम एक दूसरे को ज्यादा करीब होते, जबान के मसले पर प्रोविंसलिज्म की वजह से बार-बार हम में डिवीजन हो रहा है । इस को दूर करने की जरूरत है । मजमून गही है कि :

मरीजे इश्क पर लानत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।

तो इस के लिये कानून की जरूरत है कि जो लोग मुल्क के इत्तिहाद को बर्बाद करने के लिये, मुल्क की आनर को, मुल्क की इंटेग्रिटी को बर्बाद करने के लिये तुले हुए हैं उन को पूरी पूरी सजा दी जाए । इसके लिए कानून की जरूरत है । लेकिन महज कानून काफी नहीं होता । इस के साथ साथ इस की भी जरूरत है कि पूरे मुल्क में यह जज्बा पैदा किया जाय कि हम हिन्दुस्तानी हैं । हमारी कौमी तहजीब है । वह एक नेशनल कंपोजिट कल्चर है । उस को बरकरार रखना, आगे बढ़ाना, हम सब का फर्ज है, खाह हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों । लिहाजा मैं बड़े अदब के साथ और इंतिहाई जोर के साथ न सिर्फ इस बिल की ताईद करता हूं बल्कि हुकूमत से इस का भी मतालबा करता हूं कि वह इस जज्बे को बढ़ावा देने के लिए हर किस्म की कार्यवाही करे । न सिर्फ यह कि उन लोगों के खिलाफ सख्ती से बर्ताव किया जाय जो कांस्टीट्यूशन या कौमी झंडे की किसी तरह की बेहुरमती करते हैं बल्कि इस के साथ पाजिटिव तौर पर यह भी होना चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाये जायें और हमारे स्कूलों और कालेजों और एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में भी इस की तालीम दी जाय और वहां कौमी एकजहती पर, नेशनल इंटेग्रिटी पर जोर दिया जाय और हम ने जिस तरह से आजादी हासिल की है, हमारे लीडरों ने, हमारे बेशुमार कौमी शहीदों ने, उन सब को हमारी टक्स्ट बुक्स में जगह दी जाय, यानी फ्रीडम स्ट्रगल को एक कंपलसरी सब्जेक्ट करार दिया जाय और इस के साथ साथ इस पर जोर दिया जाय कि हमारे मुल्क की यह इम्तियाजी खसूसियत है कि वह मल्टी रिलीजस मुल्क है और हमारे यहां मुख्तलिफ किस्म के मजहब हैं लेकिन हर मजहब को पूरी तरह से आगे बढ़ने, फलने फूलने का मौका दिया गया है और यह चीज हर कीमत पर कायम रखनी चाहिए । इसी के साथ साथ हमें यह भी बताना है कि हमारा कौमी झंडा हमारी कौमी अजमत, कौमी इत्तिहाद और इंटीग्रेटी की अलामत है । इसे हर कीमत पर कायम रखा जाय और यह इस की दलील है कि हिंदुस्तान एक है और इस तरह से आज हम दुनिया की सब से बड़ी पार्लियामेंटरी जमहूरियत हैं उसी तरह से हम दुनिया की सब से बड़ी मजबूत कौम भी हो सकते हैं अगर हमारे शहरियों में यानी सब हिन्दुस्तानियों में बिला इलियाज मजहबी मिल्लत, नेशनल इंटेग्रिटी और नेशनल आनर का जज्बा कायम हो । इस के लिये कानून की भी जरूरत है और हर सतह पर, हर लेविल पर इस की भी जरूरत है कि इन तमाम चीजों का प्रचार किया जाय ।

आखिर में, मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि मुल्क के तालिमी निजाम में एक जबरदस्त सलाइहत होनी चाहिए । जैसा कि बार बार कहा गया है कि हमारी जो तारीख है, हमारी जो हिस्ट्री है वह ऐसी है कि जिस को दुबारा सही तरह से लिखा जाना चाहिए । अंग्रेजों ने अपनी पालिसी डिवाइड ऐंड रूल के तहत पूरी कोशिश की थी कि हिन्दुस्तानियों में फिर फूट डालें । आज जब कि हम आजाद हो चुके हैं, कोई वजह नहीं है कि हमारी तारीख की किताबें फिर से रिवाइज न की जायें और उन में वह तमाम आब्जक्शेनेबिल मैटीरियल, जिस से फूट

पड़ती है, जिस से नफरत बढ़ती है और जिस से कौमी इत्तिहाद कमजोर होता है, इन सब चीजों को, इस तमाम मैटीरियल को इन किताबों से खारिज किया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

†[ڈاکٹر ایم - ہاشم قدوائی (اتر پردیش): وائس چیئرمین صاحب اور دوستوں- سب سے پہلے تو میں ....

اپ سبھا ادھیکش (ڈاکٹر بابو کالداتے) سمانیے سدسیوں کہہ -

ڈاکٹر ایم - ہاشم قدوائی :

ممبران - سب سے پہلے تو ،
لائق دوست جناب پنڈت
مہر صاحب کو اس پر
پیش کرتا ہوں کہ انہوں
ہی اہم معاملے کے بارے مو
بل پیش کیا - آج ہمارے ملک
سے بڑا اور اہمترین مسئلہ یہ ہے -
کس طرح ہم اپنے ملک و قوم کے اتحاد
اور اس کی یک جہتی قائم رکھیں -
بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں
آزاد ہوئے کہ آج ۴۰ سال ہو گئے اور
آج ہم دنیا کی سب سے بڑی
پارلیمنٹ کی جمہوریت ہیں - اور
ہمیں اس پر فخر ہے - لیکن اسکے
ساتھ ساتھ بڑے ہی افسوس کی بات
ہے کہ ۴۰ سال کے بعد بجائے اسکے
کہ ہم ایک مضبوط قوم ہوتے اور ہم
اپنے قومی جھنڈے - اپنے کانسٹی

†[ ] Transliteration in Arabic script.

تھوشن اور اپنے قومی گیت کا اقرار کرتے کہ آج ہم مذہب ذات پات اور صوبوں کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں - اس سے بڑھکر بد نصیبی اور کیا ہوگی ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ہمارا مستقبل اسی وقت تک ہے جب تک کہ ہمارا ملک ایک ہے - اسی بارے میں مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ :

نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندوستاں والو
تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں -

اگر ہم ایک نہ رہے اگر ہم میں اتحاد نہ رہا تو ہم مٹ جائینگے - اسلئے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہماری قوم میں پورا پورا اتحاد ہو - ہر قوم میں قومی اتحاد اور قومی عظمت کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں - جنکو قائم رکھکر اور برقرار رکھکر ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے - اسمیں سب سے بڑا درجہ ہمارے قومی جھنڈے کا ہے - ہماری قومی تہذیب اور ہمارے کانسٹی ٹیوشن کا ہے - آج جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے کے اسپیکر نے کہا کہ ہم فخر اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم کس اسٹیٹ کے ہیں - اور اس پر ہم فخر نہیں کرتے کہ ہم ہندوستانی ہیں - آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب

کو اجاگر کیا جائے اور شروع ہی سے ہمارے بچوں کو اسکی تعلیم دی جائے کہ وہ اس بات پر فخر کریں کہ وہ ہندوستانی ہیں - اور بھارت ورش کے سپوت ہیں - اور وہ اسکے لئے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں - جب تک یہ جذبہ اور یہ اسپرٹ نہ پیدا ہوگی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ سکےگی - ہماری نئی نسلوں کو شروع سے یہ تعلیم ملنی چاہئے کہ وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارا قومی جھنڈا ہماری قومی عزت اور ہمار[ی] [ع]ظمت کا نشان ہے - اور اسکے لئے [ل]اکھوں ہندوستانیوں نے اپنی [جا]نیں دیں ہیں - آج بھی دنیا [کی] قومیں ہیں - وہ اپنے [جھ]نڈے کی حرمت اور احترام کیلئے [بڑ]ی قربانی دے سکتی ہیں- [ضر]وری ہے ہم ہندوستانیوں میں [یہ] ہونا چاہئے -

[بڑے] افسوس کی بات ہے کہ [۴۰] سال گزرنے کے بعد بھی بجائے اسکے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے زبان کے مسئلے پر - پروونسلزم کی وجہ سے بار بار ہم میں ڈویژن ہو رہا ہے - اسکو دور کرنے کی ضرورت ہے - مضمون وہی ہے :

مریض عشق پر رحمت خدا کی
مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی-

تو اسکے لئے قانون کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ملک کے اتحاد کو برباد کرنے کیلئے - ملک کی آنر کو - ملک کی انٹیگریٹی کو برباد کرنے کیلئے تلے ہوئے ہیں انکو پوری پوری سزا دی جائے - اسی کے لئے قانون کی ضرورت ہے لیکن محض قانون

[ڈاکٹر ایم - ہاشم قدوائی]

سے پہلے اس بات پر فخر کریں کہ ہم ہندوستانی ہیں - اور کسی صوبے یا ریاست سے ہمارا تعلق ہونا یا کسی زبان سے تعلق ہونا دوسرے درجہ کی چیزیں ہیں - بلا شبہ ان چیزوں کا بھی اپنی اپنی جگہہ پر مقام ہے - ہمارے کانسٹی ٹیوشن نے ہر زبان کو جگہہ دی ہے- ہمیں اسے نہ بھولنا چاہئے کہ ہماری یہ خصوصیت رہی ہے کہ ڈیورسٹی" تو ہمیں بجائے یہ کوشش کرنے کے یونیفارمٹی ہو - کوشش یہ کرنی چاہئے کہ یونٹی ہو کیونکہ ہمارا عزیز ملک ایک ایسا باغ ہے جسمیں ہر قسم کے پھول ہیں اور انکو پوری طرح پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہئے - ہمارے ملک کی آج یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے لیڈر مہاتما گاندھی اور ان سے پہلے ہمارے تمام بڑے بڑے سنت بڑے بڑے صوفی گرو نانک - خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سب لوگوں کا پیام یہی رہا ہے- کہ سب لوگ ملکر رہیں اور اپنے کو اس ملک کا ناگرک سمجھیں - اسی کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد - مولانا حسین احمد مدنی - یہ سب وہ لوگ تھے جو ایک طرف مذہب کو ماننے والے تھے لیکن ان کی ساری زندگی قومی یکجہتی کا نمونہ تھی - کہ کیسے سب ملکر رہیں - ہمارے سامنے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم سچے ہندوستانی بنیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب پر چلیں - ان دونوں چیزوں میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے - قانون کے ساتھ ساتھ اسکی بھی ضرورت ہے کہ ان سب چیزوں

پوری طرح آگے بڑھنے - پہلے پہرلے کا موقع دیا گیا اور یہی چیز ہر قیمت پر قائم رکھنی چاہئے - اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارا قومی جھنڈا ہماری قومی عظمت - قومی اتحاد اور انٹیگریٹی کی علامت ہے - اسے ہر قیمت پر قائم رکھا جائے اور یہ اسکی دلیل ہے کہ ہندوستان ایک ہے اور اس طرح سے آج ہم دنیا کی سب سے بڑی مضبوط قوم بھی ہوسکتے ہیں اگر ہمارے شہریوں بلا میں یعنی ہندوستانیوں میں امتیاز مذہب و ملت - نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل آنر کا جذبہ قائم ہو- اس کے لئے قانون کی بھی ضرورت ہے اور ہر سطح پر- ہر لیول پر اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کا پرچار کیا جائے-

آخر میں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہونگا کہ ملک کے تعلیمی نظام میں ایک زبردست اصلاح ہونی چاہئے- جیسے کہ بار بار کہا گیا ہے کہ ہماری تاریخ ہے- ہماری جو ہسٹری ہے وہ ایسی ہے کہ جسکو دوبارہ صحیح طرح سے لکھا جانا چاہئے- انگریزوں نے اپنی پالیسی ڈوائڈ اینڈ رول کے تحت پوری کوشش کی تھی کہ ہندوستانیوں میں پھوٹ ڈالیں - آج جب کہ ہم آزاد ہوچکے ہیں - کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابیں پھر سے روائٹ نہ کی جائیں اور ان میں سے وہ تمام آبجیکشنل میٹیریل جس سے کہ پھوٹ پڑتی ہے اور جس سے نفرت بڑھتی ہے جس سے قومی اتحاد کمزور ہوتا ہے ان سب چیزوں کو اس تمام میٹیریل کو ان کتابوں سے خارج کیا جائے- ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کی پرزور تائید کرتا ہوں -]

ہی کافی نہیں ہوتا - اسکے ساتھ ساتھ اسکی بھی ضرورت ہے کہ پورے ملک میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ ہم ہندوستانی ہیں - ہماری قومی تہذیب ہے - وہ ایک نیشنل کمپوزٹ کلچر ہے - اسکو برقرار رکھنا - آگے بڑھانا - ہم سب کا فرض ہے - خواہ ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں - لہذا میں بڑے ادب کے ساتھ اور انتہائی زور کے ساتھ نہ صرف اس بل کی تائید کرتا ہوں بلکہ حکومت سے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس جذبے کو بڑھاوا دینے کیلئے ہر قسم کی کارروائی کرے نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے خلاف سختی سے برتاؤ کیا جائے جو کاسٹی ٹیوشن یا قومی جھنڈے کی کسی طرح کی بے حرمتی کرتے ہیں بلکہ اسکے ساتھ پازیٹیو طور پر یہ بھی ہونا چاہئے کہ ایسے پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے چلائے جائیں اور ہمارے اسکولوں اور کالجوں اور ایجوکیشنل انسٹی ٹیوشنس میں بھی اسکی تعلیم دی جائے اور وہاں قومی یکجہتی پر نیشنل انٹیگریٹی پر زور دیا جائے اور ہم نے جسطرح سے آزادی حاصل کی ہے - ہمارے لیڈروں نے - ہمارے بے شمار قومی شہیدوں نے ان سبکو ہماری تیکسٹ بکس میں جگہ دی جائے - یعنی فریڈم اسٹرگل کو ایک کمپلسری سبجیکٹ قرار دیا جائے اور اسکے ساتھ ساتھ اس پر زور دیا جائے کہ ہمارے ملک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ ملٹی ریلیجس ملک ہے اور ہمارے یہاں مختلف قسم کے مذہب ہیں - لیکن ہر مذہب کو

डा० फागुनी राम (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। मैं श्री मिश्र जी का भी आभारी हूं कि जिन्होंने इस राष्ट्रीय गौरव और अखंडता के संरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को सदन में विचार के लिए रखा है। आप हम लोगों को जानते हैं कि राष्ट्रीय गौरव और सम्मान हम भारतीयों के लिए एक बहुत बहुमूल्य वस्तु है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस की रक्षा करें। यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए यह जरूरी है कि यह राष्ट्रीय गौरव के महत्व की जो चीजें हैं उनका सभी प्रकार से, सभी जगह सम्मान होना चाहिए और उनका सभी जगह संरक्षण किया जाना चाहिए। इनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इनके संबंध में सबको सम्मानित अनुभव करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा करने का हक है और धर्म भी है, लेकिन जो राष्ट्रीय सम्मान की चीजें हैं वे सबसे बड़ा सम्मान मानी जाती हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करके, राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करके हर आदमी अपने को सम्मानित समझे। अगर ऐसी भावना लोगों में आ जाएगी तो हम समझते हैं कि राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय सम्मान को बहुत अधिक महत्व दिया जा सकेगा। हमारे यहां कहा गया है —

जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी

जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। यह हमारा हिन्दुस्तान स्वर्ग है। यहीं पर हमारी आजादी की लड़ाई के लिए तिरंगे झंडे का स्वरूप अपनाया गया। इसमें हमारी आजादी की भावनाएं निहित हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने राष्ट्र की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर इसी तिरंगे झंडे के नीचे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा की शपथ लेते हुए यह प्रतिज्ञा की थी कि हम हिन्दुस्तान को आजाद करेंगे। इसके लिए हमारे नेताओं ने, हमारे बहुत से लोगों ने बड़ी कुरबानियां दीं। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय धर्म ये हमारे राष्ट्र-गौरव के स्तम्भ हैं। इन सब की रक्षा करना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमारा गीत है —

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।

कितना इसमें आदर्श है, कितनी इसमें प्रेरणा है, कितनी इसमें शक्ति है। राष्ट्रीय ध्वज के सामने सब गौरव का अनुभव करते हैं। इसका गान करते हुए हम सब की शक्ति बढ़ जाती है। जिस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे आजादी के सेनानियों ने, आजादी की दीवानों ने बलिदान किया, उसके सम्मान के लिए सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। यदि कोई इनका अपमान करता है तो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए, कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि सभी लोग इनके प्रति सजग हो जाएं।

श्रीमन्, यह तिरंगा झंडा हिन्दुस्तानियों के सम्मान का सदा से प्रतीक रहा है और आज भी है। तिरंगे झंडे का इतिहास नए भारत की स्वतंत्रता के इतिहास से जुड़ा हुआ है बल्कि हमारा वर्तमान और भविष्य का प्रेरणा-स्रोत भी तिरंगा झंडा है। यदि हम चाहते हैं कि इसका सम्मान हो तो हमको हर कीमत पर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही राष्ट्रीय गान का भी विशेष महत्व है। यह गान हमारी एकता के लिए, मानव में समानता के लिए, सामाजिकता के लिए और क्षेत्रीयता की भावनाएं समाप्त करने के लिए एक सूत्र की तरह है। इसके साथ ही तिरंगे झंडे के नीचे जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उनमें बिना किसी भी भेदभाव के सभी लोग तन्मय हो जाते हैं। सभी लोगों में राष्ट्रीय पर्वों पर ऐसी राष्ट्रीय भावना आ जाती है कि किसी तरह के भेद या विभेद की भावना नहीं आती। राष्ट्रीय गान का हमारा इतना बड़ा महत्व है कि उसे गाते ही हममें राष्ट्रीयता का वातावरण हो जाता है, व्यक्ति राष्ट्रीमय हो जाता है, अपनी व्यक्तिगत भावना या स्वार्थ या क्षेत्रीयता की भावना से ऊपर उठ जाता

है । ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि राष्ट्र के सम्मान के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए।

श्रीमन् हमारे यहां राष्ट्रीय पर्वों का भी विशेष सम्मान और महत्व है । पर्व हमारे यहां चाहे किसी भी धर्म के हों चाहे दशहरा हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो या गरू गोविन्द सिंह का जन्म दिवस हो, उनमें हम सभी मिलकर भाईचारे का सन्देश देते हैं और हमारे वसुधैव कुटम्बकम के भावना जगाते हैं। जब हमारे धार्मिक पर्वों का इतना बड़ा महत्व है तो राष्ट्रीय पर्वों का और भी महत्व होना चाहिए, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वाधीनता का पर्व हो सभी लोग उसमें खुलकर भाग लेते हैं। चाहे कोई किसी वर्ग का हो किसी संप्रदाय का हो सभी लोग राष्ट्रीय पर्वों में समाहित हो जाते हैं । और ऐसा लगता है कि हम लोगों का एक ही पर्व है और वह है राष्ट्रीय पर्व। हम लोगों को एक ही धर्म का आचरण करना है और वह है राष्ट्रीय धर्म का आचरण । हमारे सामने ऐसी भावना होनी चाहिए कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता भी एक राष्ट्रीय पर्व बने और राष्ट्रीय पर्व से हम एकता और अखंडता का विश्वास जगाकर हम में एक होने की भावना होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय होने का सम्मान प्राप्त हो ।

संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है । हिन्दुस्तान का संविधान अनूठा है । हिन्दुस्तान का संविधान संसार में आदर्श संविधान है। सभी तरह के लोगों, सभी धर्मों के लोगों, वर्गों, जीवन के हर क्षेत्र की विशद व्याख्या इस संविधान में की गयी है । हम जब उनका आचरण करते हैं तो गौरव अनुभव करते हैं। फिर धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक बातों के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ध्यान संविधान की ओर जाता है। जब किसी क्षेत्र में, जीवन के किसी क्षेत्र में हम कोई दिशा निर्देश चाहने लगते हैं तब संविधान के, राष्ट्रीय ग्रंथ के पन्ने उलटते हैं और देखते हैं कि सभी तरह के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी सम्प्रदाय के लोगों के लिए, सभी कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिये हुए हैं। हम देखते हैं कि संविधान वास्तव में हमारे देश का गौरव है और इसके महत्व को समझना चाहिए। आज बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमारी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और यहां तक कि बहुत अधिक धार्मिक बातें जो इस पर आधारित हैं उनका अपमान करते हैं। कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता है कि इसको जलाने के बारे में भी बात की जाती है । मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि ऐसा करना राष्ट्रीयता का अपमान करना होगा । मैं यह कहूंगा कि आप उसी का अपमान करेंगे जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, उस समाज का अपमान करेंगे जिस समाज में आप रहते हैं, उसी संविधान का अपमान करेंगे जिस संविधान से आप पालन करते हैं, जिस संविधान से आप को अधिकार मिले हुए हैं, कानून के लिए, सामाजिकता के लिए, प्रशासनिक कार्य के लिए । यह जरूरी है कि हमारा जो संविधान है इसकी सुरक्षा की जाये। बल्कि इसके सम्मान के लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसके गौरव की रक्षा के लिए अगर कुर्बानी देने की जरूरत पड़े तो आदमी को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए । ऐसा करने से हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए बड़ा ही उचित काम होगा।

मैं बहुत समय न लेकर यह कहूंगा कि देश की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ग्रंथ की रक्षा के लिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए जिसमें सम्मान रूप से प्रारम्भिक समय से ही इन लोगों में राष्ट्रीय भावना जगायी जा सके और आगे चल कर उनका क्रम जारी रहे ताकि उनमें यह भावना जग सके कि हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं । हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान हमारा देश है। राष्ट्रीय गौरव की चीजें हमारे महत्व की चीजें हैं । मैं सुझाव देते हुए कहना चाहूंगा

[डा० फागुनी राम]

कि राष्ट्रीय गौरव जाग्रत करने के लिए भारतीयों में प्रारम्भ से ही राष्ट्रीय भावना के महत्व का ज्ञान कराया जाना चाहिए । सम्मान देकर सम्मान पाना हमारी परम्परा रही है, संस्कृति रही है। हमें सम्मान निष्ठ होना चाहिए और प्रत्येक समाजिक कार्यों में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में पदार्पण करते हुए भारतीयों का राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पर्व और संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । राष्ट्रीय गौरव को अपमानित करने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि कोई आदमी राष्ट्रीय सम्मान का अपमान करने का दुस्साहस न कर सके । राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सम्मान के विरूद्ध किसी प्रकार का भी आचरण करने पर कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए । शिक्षण संस्थाओं में प्रतिदिन संचालन के पूर्व राष्ट्रीय ध्वज के सामने राष्ट्रीय गान होना चाहिए ताकि वे लोग शुरू से, बच्चे शुरू से राष्ट्रीय गौरव के महत्व को समझ सकें और उसके प्रति आचरण करने के लिए वचनबद्ध हो सकें। भारतीय शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों में संविधान की प्रस्तावना लटकाई जानी चाहिए ताकि प्रस्तावना पढ़ कर लोग संविधान की मर्यादा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें ऐसा करने से हमें विश्वास है कि लोग राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय गौरव और सम्मान की जो चीजें है उनको सम्मान मिल सकेगा । हमारा परम कर्तव्य है कि राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए हम प्रत्येक कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें और सदैव राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करें ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता सदैव अक्षुण्ण रह सके । हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारा राष्ट्रीय गौरव सदैव बना रहे, उसका सम्मान बढ़ते रहे, इसके लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस राष्ट्रीय गौरव जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिन्होंने यह राष्ट्रीय गौरव का विधेयक सदन में रखा है उनको मैं धन्यवाद देता हूं और इस राष्ट्रीय गौरव और अखण्डता (संरक्षण) विधेयक का हृदय से और पुर-जोर समर्थन करता है ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । जिस बिल पर आज चर्चा हो रही है--राष्ट्रीय गौरव और अखण्डता विधेयक, 1987 उसमें जो उद्देश्य लिखे गये हैं उनके संबंध में किसी भी संवेदनशील और विवेकशील नागरिक के मन में दो रायें नहीं हो सकती है । कोई भी नहीं चाहता कि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा न की जाय। हर एक विवेकशील नागरिक चाहता है कि राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की जाय । वस्तुस्थिति तो यह होनी चाहिए कि न केवल विवेकशील और पढ़े-लिखे लोग, बल्कि आम आदमी जो झोपड़ी का आदमी है, एक खलिहान का आदमी है, सड़क का आदमी है, यह महसूस करे कि यह देश यह राष्ट्रीय ध्वज, यह संविधान, इनके प्रति कोई भी अगर खिलाफ जाय तो उसके मन में भयानक गुस्सा होना चाहिए, उसमें प्रतिक्रिया होनी चाहिए । कहने का मतलब यह है कि संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अगर कहीं आघात होता है तो प्रत्येक नागरिक के मन में रोष होना चाहिए । श्री पाणिग्रही जी, आप सुनिये, उस बिल के संबंध में मैं आलोचना करने वाला हूं, बहुत जबर्दस्त आलोचना करने वाला हूं अभी स्थिति यह है कि राष्ट्रीयता को एक एबस्ट्रेक्ट चीज की तरह से देखा जा रहा है । इस संबंध में मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं । एक नव-जवान था । उसके मन में एक भूख जागी कि ब्रह्म को नंगी आंखों से दर्शन करूं । वह इस खोज में निकल पड़ा । एक दिन किसी ने उसको बताया कि एक बहुत ऊंचे संयासी हैं उनके पास जाओ । वह नवजवान उस संयासी के पास गया और उसने बताया कि वह ब्रह्म को नंगी आंखों से देखना चाहता है और जरूर देखेगा । संयासी ने कहा, देखो बच्चू, आज तक किसी ने भी ब्रह्म को नंगी आंखों से नहीं देखा है तो तुम कैसे देख सकते हो । नवजवान ने कहा कि मैं

जरूर देखूंगा। जब वह नवजवान समझाने पर भी नहीं माना तो संयासी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा मन इतना पवित्र नहीं है कि तुम ब्रह्म को देख सको। तुम आठ रोज तक उपवास रखो और जब शुद्ध हो जाओगे तो नंगी आंखों से ब्रह्म को देख सकते हो। आठ दिन के बाद वह नवजवान उस संयासी के पास वापस आया, किसी तरह से लड़खड़ा कर वहां पहुंच सका। संयासी ने कहा कि बच्चा, अभी तुम्हारा मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आठ दिन और मन मसोस करके रहो तो शुद्ध हो जाओगे तो ब्रह्म को नंगी आंखों से देख सकोगे। पन्द्रह दिन के बाद उसको टांग करके वहां सन्यासी के पास लाया गया। फिर कहा कि बच्चू अभी शुद्ध नहीं हुए आठ रोज और मन मसोस कर उपवास रखो। तो 21 दिन के बाद उसकी बोली बंद होने लगी, टांगकर लाया गया। फिर सन्यासी ने कहा कि अभी पूरे शुद्ध नहीं हुए हो, आठ रोज और मन मसोस कर उपवास रखो फिर नंगी आंखों से ब्रह्म को देख सकोगे। आठ दिन के बाद वह नौजवान बोला, जिसकी प्रतिक्षा थी कि मैं नंगी आंखों से ब्रह्म को देखूंगा, उसने कहा कि बाबा मुझको ब्रह्म नहीं चाहिए मुझे रोटी चाहिए, आप मुझको रोटी दो। तो इस पर सन्यासी ने कहा कि यही ब्रह्म है, रोटी ही ब्रह्म है। उसने नंगी आंखों से देखा कि इस धरती का ब्रह्म रोटी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि खाली राष्ट्रीय गीत गवाकर और डंडे से राष्ट्रीयता का सबक लोगों को पिलाओगे तो उससे राष्ट्रीयता उतरने वाली नहीं है। जिस गरीब के घर में शाम का और दिन का चूल्हा न जलता हो, जिसके घर में खाने के लिए कुछ न हो उसको अगर आप डंडे के द्वारा राष्ट्रीयता पढ़ाओगे, जो बोल नहीं सकते हों, सांस नहीं ले सकते हैं जो गरीब है जबरिया लोगों से कहोगे कि यह कहो कि हम संविधान को मानते हैं तो संविधान में हमारे सारे अधिकार हैं। मगर इन लोगों को क्या संविधान रोटी दे रहा है। अगर यह संविधान उनको रोटी नहीं देता है, उनको इज्जत नहीं देता है, उनकी बहु-बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं करता है तो स्वभावतः उन्हें इस संविधान के प्रति गुस्सा होगा। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पसीना बहाऊ वर्ग है, जो अपना पसीना बहाते हैं अपनी मेहनत से, उसको संविधान के प्रति गुस्सा होगा। और तो और एक साधारण आदमी, भूखे लोगों की बात आप छोड़ दीजिए, जिनके पास रोजी, रोटी और इज्जत नहीं, उनकी बात छोड़ दीजिए मैं तो संविधान के निर्माता के बारे में कहना चाहता हूं। इसी सदन में संविधान के निर्माता डा० भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे अब महसूस हो रहा है कि संविधान का बहुत दुरूपयोग हो रहा है। जिस उद्देश्य से यह संविधान हमने बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति इस संविधान से नहीं हो रही है। अब मुझे इसका प्रायश्चित है और अब मैं पहला आदमी हूंगा जो इस संविधान की प्रति जलाऊंगा यह मेरे शब्द नहीं है। ये डा० भीम राव अम्बेडकर के शब्द हैं जिन्होंने संविधान को जलाने की बात इसी सदन में कही थी जो कि रिकार्ड में है। यह उन्होंने क्यों कहा ? इसलिए कहा कि क्योंकि संविधान में जो अधिकार गरीबों शोषितों आदिवासियों, पिछड़ों, हरिजनों को दिये गये हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, सरकार उनका अनुपालन नहीं कराती है और न करती रही है। मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 144 में उल्लेख है कि जिन इलाकों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है उसमें एक ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल का निर्माण किया जाय और उसको आटानामी दी जाय ताकि उनके कल्चर का विकास हो सके और भी जो उनके विकास के कार्य हैं वे अच्छी तरह हो सकें। इसी में शैड्यूल 6 में इस बात का उल्लेख किया गया है जो कि 244 अनुच्छेद के ही अन्तर्गत है कि पार्लियामेंट द्वारा पास कानून और असेम्बली के जरिये पास कानून भी तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ट्राइबल एडवाइजरी कौंसिल उसको अप्रूव न कर दे। लेकिन

[डा० फगुनी राम]

इसका अनुपालन कहीं हो रहा हैं। किसी भी आदिवासी एरिया में संविधान द्वारा दिये गये इस अधिकार को जो उनके विकास के हित में है नहीं दिया जा रहा है। वहां पर गैर आदिवासी लोग बंदुक लेकर बैठे हुए हैं चाबुक लेकर बैठे हुए हैं और वे कहते हैं कि नहीं यह प्रावधान लागू नहीं होगा। यही कारण है कि वहां के आदमी कहते हैं कि हमको अलग राज्य दे दों, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आदिवासियों के ऊपर जो नान-आदिवासी हैं वे उनको लूट रहे हैं, वे उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं उनको दबाया जा रहा है उनकी लड़कियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनका शोषण कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके मन में गुस्सा है। ऐसी स्थिति में गुस्सा आना स्वाभाविक ही है और वे कहते हैं कि हमको अलग रहने दिया जाय, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। यह जो आप बिल लायें हैं इसमें आपने क्या कहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। इसमें यह जो पैरा इसका है इतना खराब संशोधन किसी कानून का हो सकता है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। सेक्शन 4 में लिखा है

Section 4: Whoever by words spoken or written demands the separation of any territory of India, publicly demands the creation of a State or alteration of the boundaries of any State on the basis of race, region and caste and if such demand is likely to disrupt the public order or harmony among the people, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend from 3 to 10 years or with fine or both^

Explanation; When violence is resor-ed to by any person belonging to the group for whose benefit the demand is made, the demand shall be deemed to be supported or accomapnied by *mo*-lence automatically.

The group will be, taken to mean that the group is supporting automatically ovea if the group does not support such a demand; only because the man who takes to violence, who restarts to violence, belongs to a particular group, the group as a whole is taken to mean that the group is supporting the cause

उपसभाध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा आप लाना चाहते हैं। बिना किसी प्रयास के अगर ग्रुप का कोई व्यक्ति किसी काज को ले कर वायलेंस पर हिंसा पर उतारू है तो इसमें पूरा ग्रुप माना जाएगा कि उसको सपोर्ट कर रहा है आपने आप ऐसा कोई कानून बन सकता है ? ऐसा घटिया कानून हम नहीं समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी भी सभ्य सदन में लाया जा सकता है कि अपने आप हो जाएगा और मैं यह कहना चाहता हूं कि आगे सेक्शन 6 में यह है कि–

Section ; Any person abetting the commission of any offence under this Act shall bo punished with imprisonment to the same extent as provided for ... .whether such an offencf. has actually been committeed or not in pursuance of such abettment.

कोई किसी को कह रहा है कि तुम ऐसा काम करो, अबेटमेंट कर रहा है कि संविधान के खिलाफ बोलना है। कह रहा है इतनी ही बात मान लीजिये तो उस आदमी ने हमारे कहने पर कुछ किया या नहीं किया लेकिन वह दोषी माना जाएगा स्वत; उसको सजा दी जाएगी। ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए। यह बहुत खतरनाक कानून है।

श्री बी० सत्य नारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : आपने जो बयान दिया था... (**व्यवधान**)...

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने बयान दिया था, मैं आज भी उस बयान पर कायम हूं। हमारा संविधान अगर हमारी आशाओं और आकांक्षाओं का दर्पण नहीं बना, हमारी जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का दर्पण नहीं बना बल्कि वह औजार बन जाए हमारे शोषण और हमारे दमन का और मुट्ठी भर शासक शोषक वर्ग के हित में औजार बन जाएं और हम उसके शिकार बन जाएं तो

हम ऐसे संविधान को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इस सदन में 58 संशोधन संविधान के पास हो चुके हैं। 57 संशोधन लागू हो गये हैं केवल एक संशोधन को छोड़कर वह पहला संशोधन था। पहला संशोधन था कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जायेगा और उनको माना जायेगा। उसके आधार पर कमीशन बहाल हुए। काका कालेलकर कमीशन बहाल हुआ। उसने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को 22साल तक कांग्रेसी हुकमत ने झुलाये रखा और दो ढाई साल तक जनता पार्टी की हुकूमत ने झुलाये रखा क्योंकि शासक और शोषक वर्ग दोनों एक हैं। सरकार बदल सकती है लेकिन शासक और शोषक वर्ग काबिज रहते हैं।

श्री पी० सत्य नारायण रेड्डी : आप शास[illegible] साथ पार्टी में थे।

राम अवधेश सिंह : मैं शोषित [illegible] था शोषित समाज में था और [illegible]भी हूं कल भी रहूंगा। रेड्डी साहब [illegible]ा है आप शासक वर्ग में हैं। लगता [illegible] जरूर हैं। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि आंध्रा में रेड्डी लोग शासक वर्ग में हैं। रेड्डी साहब ने ठीक कहा... (*व्यवधान*)...

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : काहे के लिए उनका जवाब दे रहे हैं। ये तो आपको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको जारी रखें।

श्री राम अवधेश सिंह : इनका क्वेश्चन भी सही है और जवाब भी सही दे रहा हूं मैं ही एक ऐसा था जो शासक दल में रहते हुए भी इस सवाल को उठाता रहा और प्रधान मंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तथा गृह मंत्री को मजबूर करता रहा कि इस पर कार्यवाही हो। लेकिन आज के शासक वर्ग के किसी एम०पी० में दम नहीं है कि वह इस बारे में बोले कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए गृह मंत्री यहां हैं लेकिन वे कुछ नहीं बोलेंगे। इनको दम नहीं है कि बोल सकें। बोलेंगे तो इनकी नौकरी चली जायेगी अगर थोड़ा भी बोलेंगे... (**व्यवधान**)

मैं यह कह रहा था कि इस संविधान के प्रति हर आदमी को जो विवेकशील है आस्था है लेकिन यह हुकूमत ये शासक और शोषक वर्ग दोनों अपने हित में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करा रहे हैं। इससे सहज तौर पर जो शोषित हैं उपेक्षित हैं उनके मन में संविधान के प्रति गुस्सा आ रहा है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ समाज व्यवस्था बनाओ न्याय व्यवस्था बनाओ राजनैतिक व्यवस्था बनाओ कि समाज का नीचे से नीचा दबा हुआ आदमी यह महसूस करने लगे कि यह देश हमारा है। हम भी इसके भागीदार हैं। आप जानते हैं कि डा० लोहिया ने कहा था कि यह इतना बड़ा देश है इतनी बड़ी विशाल भौगोलिक स्थिति है इतना बड़ा इतिहास है, महान परम्पराएं हैं फिर भी यह देश-बार बार क्यों गुलाम हुआ ? वहशियों की तरह इस धरती को विदेशियों ने जब चाहा तब मसल दिया। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि बहुसंख्यक कमेरा वर्ग कभी यह नहीं समझा कि यह देश हमारा है। गजनवी यहां लूटने आया। वह हेलीकाप्टर पर नहीं आया था, हवाई जहाज पर नहीं आया था और लूट का सामान यहां से हवाई जहाज पर या हेलीकाप्टर पर नहीं ले गया था, वह ऊंटों पर खच्चरों पर लादकर धीरे धीरे रेगिस्तान से पार होता गया और समाज का एक आदमी उसे छेडने वाला नहीं मिला कि तुम यह सामान क्यों ले जा रहे हो, यह समारे देश का समान है। क्यों ? क्योंकि वे यह समझते थे कि मंदिर में हमारी हिस्सदारी नहीं है, इसके दरवाजे पर हम नहीं जा सकते, यहां हमको घुसने नहीं देंगे तो इसमें कोई आये कोई जाये हमसे क्या लेना देना है। तो महोदय, जबतक यहां के कमेरा वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग यह न महसूस करने लगे अपने आप कि यह देश हमारा है यह संविधान हमारा है यह राष्ट्र

श्री [राम अवधेश सिंह]

ध्वज हमारा है कोई इसके खिलाफ जायेगा या बोलेगा तो हम उसकी आखें निकाल देंगे, ऐसा उनके मन में विचार न आये. . . । इसके साथ-साथ मैं एक और बात जोड़ कर कहना चाहता हूं । वह भी ऐतिहासिक बात है । वाजपेयी जी यहां हैं, वह हमारे खिलाफ हो जायेंगे यह बात सुन कर के, लेकिन मैं अपनी बात. . .

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : शायद आपके साथ हो जायेंगे ।

श्री राम अवधेश सिंह : हां, लेकिन मैं अपनी बात. . .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : संशय आत्मा. . .

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : मैं भी संशयात्मक हो गया हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह बहुत से लोगों की धारणा है कि इसलाम ने हिंदुस्तान पर केवल तलवार के बल पर राज किया है और हिंदुस्तान को दबाया है, यहां की आजादी को लूटा है इसलाम ने, ऐसी भावना है । लेकिन ऐसी बात नहीं है ।

SHRI BAHARUL ISLAM (Assam): That has been refuted by SWami Vivekanand.

श्री राम अवधेश सिंह : इस चार्ज को मैं नहीं मानता हूं । इसने साबित कर दिया, आप जानते हैं कि जब मोहम्मद गौरी यहां आया, वह पहला शासक था जिसने जीत कर दिल्ली पर पहला इसलामी झंडा गाड़ा, इसलामी सल्तनत को कायम किया, लेकिन वह राज नहीं कर सका । यहां से वह तुरंत गजनी को लौट गया और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया । लेकिन वह वापिस नहीं लौटा और मर गया । तो कुतबुद्दीन ऐबक जो सेनापति था, वह राजा हो गया । वह कौन था ?

उसको गौरी ने टर्की से गुलाम के रूप में खरीदा था । वह उसका गुलाम था । लेकिन वह अपनी तेजिस्विता, अपनी मेधा के बल पर उसका सेनापति बना और बाद में बादशाह बन गया । उसके बाद जो दूसरा बादशाह बना, उसका नाम था अल्तमश । अल्तमश कुतुबुद्दीन का खरीदा हुआ गुलाम था और वह भी सेनापति बना ।

फिर अल्तमश के बाद जो तीसरा बादशाह बना, उसका नाम था बलबन । वह भी गुलाम था और वह भी सेनापति बादशाह बना । इस तरह से बलबन, रजिया छह पीड़ी तक. . . .

एक माननीय सदस्य : आपने रजिया का नहीं कहा है ।

श्री राम अवधेश सिंह : रजिया का कहा है, आप सुनते नहीं । जरा सुनिये भाई ।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : कानोलाजी तो हमको भी मालूम नहीं कि कब कौन है, लेकिन नाम ठीक है ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं पीढ़ी तक गिनाया है, दो छोड़ देत रापके लिए ।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालद हां, छोड़ दीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : छह पीढ़ी लगातार हिंदुस्तान पर जो इसलाम की हुकुमत हुई, गुलाम का गुलाम गुलाम का गुलाम और गुलाम का गुलाम बादशाह होते रहे, क्यों ? यह क्या बात है कि इसलामी सभ्यता ऐसी सभ्यता आई जहां खरीदे हुए गुलाम को भी अपनी मेहनत अपनी तेजस्विता; अपनी ईमानदारी और अपनी कर्मठता के बल पर बादशाहत की कुर्सी तक पहुंचने का हक था और घोड़े की लीद फेंकने वाले को भी अगली क्ति में बैठने का हक था, नमाज अदा करते हुए अगर बादशाह आया, तो उसके पीछ बैठता था, लकिन हिंदुस्तान की जो धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें तथाकथित आजाद हिंदुस्तान का आदमी भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, । सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, किसी

मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था । उसके दूसरी ओर ऐसी सभ्यता आई जहां सब के लिए दरवाजा खुला था । तो विचार की वजह से भी इसलाम यहां फैला, तलवार के आधार पर नहीं फैला, यह हमारा मानना है । फिर मैं यह कहना चाहता हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : आप थोड़ा संक्षिप्त करिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं कनक्लूड कर रहा हूं कि आज जो हमारे देश में बेचैनी है, भीतर-भीतर खलबली है, उसके कई कारण हैं । सत्ता में, सम्पत्ति में, सम्मान में उसको आप कह सकते हैं—बढ़ा करके राष्ट्रीय सम्पत्ति, सत्ता और सम्मान में इस देश के हर व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं है । हम कह सकते हैं कि समाज के दस फीसदी ज्यादा से ज्यादा सत्ता, सम्पत्ति और सम्मान पर सांप की तरह से कुंडली मार कर बैठे हुए हैं और उसमें हिस्सेदारी नहीं लेने देना चाहते हैं । यह 90 फीसदी आदमी इस देश के अपमानित महसूस कर रहे हैं, वह भूखे हैं, राजनीति उनको डंडा लगाती है, राजनीति में उसकी हिस्सेदारी नहीं है, वोट लूटा जा रहा है, जो वोट देना चाहते हैं, उसको लूट करके दूसरा बन जाता है, जिसको प्रतिनिधि बनना चाहिए, यहां वह नहीं बन पाता है, दूसरा बन जाता है । इसलिए आज न वोट में, न कोर्ट में—कहीं भी न्याय दिखाई नहीं देता है ।

इसलिए आम आदमी के मन में
4.00 P.M. गुस्सा है और उस गुस्से का इजहार वह करना चाहता है । वह देखता है कि उसका कारण क्या है । तो कहता है कि संविधान है और शासक वर्ग उसको मुंह बंद करने के लिए कहता है देखो यह संविधान है, बोलो मत । बोलोगे तो राष्ट्रद्रोह है । जैसे यह बिल ला दिया गया है । इस बिल के एक-एक अनुच्छेद का मतलब गलत है । इतना भयानक और खतरनाक है कि यह रोलेट एक्ट से भी खतरनाक है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप किसी भी कीमत पर डंडे के बल पर कानून बनाकर तो अंग्रेज लोग रह ही जाते अंग्रेज लोगों ने कानून कड़े से कड़ा बनाया था और भी कड़ा बना सकता था और उसके बल पर यहां राज कर लेता । मैं घोषक और शासक वर्ग को इस बिल के संशोधन पर बोलते हुए चेतावनी देना चाहता हूं और हकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपने सोचने का ढर्रा बदलो, तौर-तरीका बदलो, केवल डंडे के बल पर यहां के पिछड़ों को, हरिजनों को, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दबाकर नहीं रख सकते हो । आज उनके दिमाग खुले हैं और वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में राष्ट्रीय सत्ता में, राष्ट्रीय सम्मान में उनकी भी हिस्सेदारी हो, उनकी भी भागीदारी हो और उसको दबाए रखने के लिए आप कानून बनाना चाहते हो, संशोधन करना चाहते हो । ठीक है, आपने 58 संशोधन किया, 57 को लागू कर दिया और पहला संशोधन है पिछड़ों के बारे में जो 54 फीसदी इस देश में केवल पिछड़े हैं उनके बारे में आपने कुछ काम नहीं किया है आज तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है । पहला संशोधन लागू नहीं हुआ और अब गुस्से में कहेगा पिछड़ा वर्ग समूह में कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इसको जला देंगे । आप बांधो तीन वर्ष, दो वर्ष, इससे आन्दोलन नहीं रुकता है, इससे क्रांति नहीं रुकती है । तीन, चार छः और दस वर्ष बांधने का भय दिखाकर जिनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है वे जेल के भय से और फांसी के फंदे चूमने के भय से पीछे हटने वाले नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि वह मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू कराए । पिछले सत्र में सरकार ने वायदा किया था कि हम बहस करायेंगे, लेकिन आज तक बहस नहीं हुई । इस सत्र के 15 रोज बीत गए और सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर बहस कराने के लिए अभी तक कोई इंडीकेशन नहीं दिया । यह मंडल आयोग जनता पार्टी ने बहाल किया, हमारी हकमत ने बहाल किया । मंडल आयोग की रिपोर्ट भी आकर पड़ी है और उसमें भी दीमक लग रही है । न तो अल्प संख्यक आयोग की सिफारिशों पर बहस हो रही है और न ही मंडल आयोग की सिफारिशों पर बहस हो रही है और हिस्सेदारी से वंचित किया जा रहा है ।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल रद्दी की टोकरी में फैंकने लायक भी नहीं

[श्री राम अवधेश सिंह]

है रद्दी की टोकरी में फैंके जाने पर भी उसमें से दुर्गन्ध आयेगी, इसलिए इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए और भारी बहुमत से रिजेक्ट करना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय गौरव और अखंडता (संरक्षण) विधेयक, 1987 जिसे हमारे श्री शिव कुमार मिश्र जी ने जिस भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया है उसकी हम सराहना करते हैं अभी हमारे एक सम्मानित मित्र का भाषण आप सुन रहे थ, मैं जो कुछ कहना चाहता था मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि जिसे मैं एक जागरूक राजनीतिक नेता मानता हूं और यह मानता हूं कि कुछ विषयों में उनकी खास मान्यताएं हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा और जिस तरह की भावना स्वयं प्रकट की है, उससे कष्ट होता है ।

श्री राम अवधेश सिंह : बिल की भाषा भी जरा देखिएगा ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : डिबेट में नागरिकता की बात उन्होंने शुरू की । एक नागरिक के जो कर्त्तव्य और दायित्व हैं, जिसका हमारे संविधान में बहुत ही विस्तृत उल्लेख है । लेकिन उससे भी बढ़ कर मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हजारों वर्षों से हर नागरिक के लिए एक कर्त्तव्य और दायित्व का परंपरागत जिस तरह से विस्तार हुआ है, जिस संस्कृति में विद्या और विवेक के लिए विशेष स्थान दिया गया हैं । जिस संस्कृति में हर मनुष्य को अपना कर्त्तव्य एक मानव के नाते कैसे करना चाहिए, उनका क्या कर्त्तव्य और दायित्व अपने आपके लिए है अपने जीवन को सार्थक करने के लिए है सारे समाज के प्रति है, देश के प्रति है, मानवता के प्रति है उस संस्कृति के हम नागरिक हैं । इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य और दायित्व है कि जिस संविधान और राष्ट्रीय गौरव के संबंध में इस विधेयक में उल्लेख किया गया है, उसमें विचार करने के समय हम अपने विवेक को, हम अपने संस्कार को, हम अपने कर्त्तव्य और दायित्व को राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न करें क्योंकि यदि हम लाल चश्मे से देखने लगें तो चारों तरफ लाल ही लाल दिखाई देता है और हरे चश्मे से देखने लगें तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है । फिर वह विवेक की बात जो यहां करते हैं, वह विवेक की बात नहीं है और उचित-अनुचित का भेद फिर छूट जाता है । हम एक भावना से प्रेरित होकर एक दूराग्रह मन में रखकर किसी बात को करते हैं, तो वह ठीक है नहीं ।

जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, उन मुद्दों के प्रति केवल वही नहीं, हरेक जो विवेकशील नागरिक हैं, वे सोचते हैं, समझते हैं, उनके मन में उससे कम तेज भावना नहीं है । देश में जितने गरीब हैं जितने किसान हैं, जितने आदिवासी हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, उनके मन में राष्ट्रीय गौरव और अखंडता तथा संविधान के प्रति आदर किसी से कम नहीं है । उनके उत्थान के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए हैं इस आजादी के लिए और उनकी उपेक्षा करके हमारे मित्र आलोचना करते हैं । इस संविधान को आजादी में तपे-तपाए हुए लोगों ने अपने सैकड़ों वर्षों के त्याग और तपस्या के बाद बनाया है, इतने वर्षों के बाद देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारा क्या संकल्प हो, हमारा संविधान क्या हो, हमारा देश किस तरह का चले, हम राष्ट्रीय गौरव की सुरक्षा कैसे करें, देश की अखंडता को हम कैसे बचाएं देश की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक स्थिति को हम किस तरह ले चलें, जिससे यहां देश से गरीबी दूर हो, देश के, समाज के, सब वर्गों के लोगों को संपन्न होने का सुअवसर प्राप्त हो, उसके लिए लोगों ने बहुत ही बड़ी-बड़ी त्याग और तपस्या की है । अभी भी बहुत से लोग हैं, चाहे वह किसी वर्ग के हों, किसी समाज के हों, उनके मन में उस तरह की भावना आज भी ज्वलंत है । इसलिए जितने शासक हैं, जितने शासक वर्ग में लोग हैं, उनको एक स्वर से, एक शब्द से घृणित करना, अपमानित करना, मैं समझता हूं कि किसी नागरिक के लिए ठीक नहीं है ।

श्री राम अवधेश सिंह : घृणित करने की बात नहीं है। उनके लिए क्या किया गया अभी तक ? आजाद संविधान बनने के बाद जो आपने सारी बातें गिनाई, उसकी दिशा में क्या कदम उठाए गए ? जिनके घर में चूल्हे बुझे हुए थे क्या उन चूल्हों में आग पहुंचायी गयी और जिनके घरों में दीपक बुझे थे, उन्हें जलाया गया है यह आप बताइए ।

श्री रामेश्वर ठाकुर: अगर आप नहीं जानना चाहते कि हिंदुस्तान में पिछले 40 वर्ष में क्या हुआ, अगर हम अपनी आंखें बन्द कर देना चाहते हैं, यदि हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इस सदन में और उस सदन में जो लोग बैठे हैं और बैठे थे वह सब लोग आंखें बंद करके नहीं बैठते थे वह इस सब की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे । मुझे आश्चर्य होता है कि आप इस तरह से एक ही स्वर में सब को अपमानित करना चाहते हैं, अपने संविधान को अपमानित करना चाहते हैं। आप इस तरह की बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे कि मैं समझता हूं कि सब का ठेका आप ही लिए हुए हैं और जो राजनीतिक पुरुष हैं, जो समाजसेवी हैं जो कि समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, जो पहाड़ियों, संथालियों, और हरिजनों के बीच में जिन्होंने अपना जीवन लगाया है वह लोग जातिवाद से प्रेरित नहीं हैं । ऐसे हजारों लाखों लोग इस देश में मौजूद हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं जातिवाद से प्रेरित नहीं हूं । मैंने पिछड़े लोगों के लिए काम किया है ।... (**व्यवधान**)...

श्री रामेश्वर ठाकुर : आपने काम नहीं किया ।... (**व्यवधान**)... मैंने पिछले 22 वर्षों से आदिवासियों के बीच में काम किया है। केवल भाषण देने से काम नहीं होता है ।... (**व्यवधान**) .. रचनात्मक काम कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करिए, संविधान का सम्मान करिए मुझे आश्चर्य होता है कि आपको आज पता नहीं है कि 1947 में कितने अशिक्षित थे, उपेक्षित थे , गरीब थे । आपको शायद मालूम नहीं है कि पिछली बार आजादी से कुछ पहले कलकत्ता में जब अकाल हुआ था उस समय कलकत्ता की गलियों में कितने लोग मर गए थे। आज दो-तिहाई देश में इतना बड़ा अकाल पड़ा है और आज कितने लोग मरे हैं। देश में कुछ काम नहीं हुआ, गरीबों का कोई काम नहीं हुआ—इस तरह की भाषा बोलना ठीक नहीं है । ...(**व्यवधान**)...

श्री राम अवधेश सिंह : पहले 17 प्रतिशत भूमिहीन थे और वे 47 परसेंट हो गए । इसके बारे में आप बताइए आपका क्या कहना है ?

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : राम अवधेश जी आप बहुत दूर चले गए हैं ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, हम में से कोई भी आदमी चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, ऐसा नहीं मानते हैं कि देश की सारी समस्यायें हल हो गयीं । देश बहुत विशाल है। देश की समस्यायें जटिल हैं। गरीबी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है । आज से नहीं जबसे हमने संविधान, तैयार किया जिसकी बात आप करते हैं, यह वास्तव में संविधान में सुधार की इतनी महत्वपूर्ण बात कही गयी है । उसमें और सुधार किया जा सकता है, लेकिन जिस संविधान की बात हम भारत के लोग करते हैं, उस संविधान के प्रति आप गुस्सा प्रकट करते हैं कि वह संविधान गरीबों के लिए नहीं है आपकी नजर में, वह संविधान जिसकी कि आपने शब्दों में उपेक्षा की है, यह बात ठीक नहीं है ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने तो आदर किया है। लेकिन मेरा यह कहना कि पहले संशोधन क्यों लागू नहीं हुआ । आप उसका जवाब दीजिए, अपने प्रधान मंत्री, होम मिनिस्टर से दिलवाइए ।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते): नहीं नहीं राम अवधेश जी, कितनी दफा वहीं कहेंगे ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : आपकी जनता पार्टी के समय ...(**व्यवधान**)..

श्री राम अवधेश सिंह : मैं उस समय विरोध में जेल गया था ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : जो न्यायिक तरीका है उससे होगा, विरोध करने से यह नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपके

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

कहने में तथ्य नहीं है। आपके कहने में परसुएंस नहीं है। आप केवल हरे रंग के चश्मे से या लाल रंग के चश्मे से हर चीज देखते हैं इससे यह स्थिति ठीक नहीं होगी जब आपकी पार्टी के लोग आपके विरोध में थे और वे लोग आपकी बात नहीं मानते थे। आप एक ही लाठी से सब को धाराशायी कर के कहें कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और स्वयं भूनेता बनना चाहते हैं, यह बात ठीक नहीं है। मैं तो इस तरह की भाषा बोलता नहीं हूं। लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आप संविधान के प्रति इस तरह का उपेक्षा का भाव रखते हैं। वह संविधान जिस में हम ने शपथ ली, और जिस में हम ने कहा कि हम भारत के लोग, भारत को एक...

श्री राम अवधेश सिंह : पढ़ा हुआ है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : पढ़ा होगा, समझा नहीं होगा। उस में कहा गया है कि :

> "हम, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उस के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

तो इस भावना से जो चीज बनी है, जिस में सारी चीजों का उल्लेख मूल रूप में है...

श्री राम अवधेश सिंह : लेकिन उस का पालन नहीं होता है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जिस भावना के साथ राष्ट्रीय गौरव के लिये, राष्ट्रीय अखंडता के लिये जो यह बिल रखा गया है वह अपनी जगह पर बहुत ही सराहनीय है। यह तो हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया है। प्रशासन में कोई भी रहे या विरोधी पक्ष में रहे, लेकिन लोकतंत्र में जो शासन में हैं वे भी गरीबों की बात करते हैं, और आप से ज्यादा उन की बात करते हैं और उन के लिए काम करते हैं, लेकिन आप को भी वह काम जिस से गरीबी के निराकरण में कमी हो, करना चाहिए। शोषण की प्रक्रिया अभी भी बनी हुई है। उस में सुधार के लिए हमें और आप को मिल कर काम करना चाहिए। कुछ राष्ट्रीय समस्याएं ऐसी है कुछ राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं कि जिस में एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखना हर पार्टी के लिये, हर नागरिक के लिये उस का कर्तव्य होता है, और उन को हल करने के लियें हमें काम करना चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय अखंडता का सवाल है, इस प्रश्न पर विभेद कैसे हो सकता है। कोई भी जागरूक पुरुष, विचारवान आदमी, जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता है वह कैसे कह सकता है कि उस को इस बात में विरोध है, लेकिन यह राष्ट्रीय गौरव के लिय कोई विधेयक आये तो आप कह सकते हैं कि उस को रद्दी की टोकरी में डाल दो।

श्री राम अवधेश सिंह : बिना कारण **कारण** के नहीं कहते। आप गरीबों को क्या देते हैं जरा यह तो बताइये।

उपसभापति (**श्री जगश देसाई**) [पीठासीन हुए]

श्री रामेश्वर ठाकुर : आप इस में संशोधन पेश करिये। उस में कोई मनाही नहीं है, लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए यह आप के मन की जो भावना है यह ठीक नहीं है।

श्री राम अवधेश सिंह : राष्ट्रीय झंडे के लिये पूरा सम्मान है लेकिन संविधान में जो लिखा नहीं होता उस के लिय गुस्सा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर : राष्ट्रीय ध्वज के लिये डा० फागुनी राम ने कहा कि जिस

के लिये हम लोगों ने और राष्ट्र निर्माण कार्य में भाग लिया है और जिन हजारों लोगों ने इसके लिए अपने प्राण दिये हैं इस सब के पीछे उन का त्याग है, उन की कुर्बानी है उदाहरणस्वरूप पटना विधान सभा के सामने 1942 में लड़के तिरंगा झंडा लगाने गये थे और उन में से एक के बाद दूसरा मारा गया और फिर नवां लड़का वह झंडा लगा पाया। तो इस झंडे के पीछे हमारा त्याग है, इसके प्रति जो मान्यता है, है, जो राष्ट्रीय संस्कृति है और जिस के लिये हमारे सिपाही हिमालय के पहाड़ों पर बैठकर काम करते हैं उस के प्रति हम ऐसे शब्द कहें तो यह अच्छा नहीं है। इस के लिये हमारा कुछ दायित्व है। उस के प्रति हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

दूसरे राष्ट्रीय पर्वों और समारोहों की बात इस में कही गयी है। यह भी ऐसे अवसर होते हैं कि जो हमारे समाज और राष्ट्र के लोगों को एक करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन में हमारी संस्कृति का विकास होता है। समाज में वहां सब स्तर के लोग मिलते हैं, भाग लेते हैं। धारा 6 इस की बहुत अच्छी है और विघटनकारी कार्यकलाप तो हम देख ही रहे हैं। आज देश के कुछ भागों में किस तरह से विघटनकारी लोग जिन बातों को अभी हमारे मित्र कह रहे थे, उनका उल्लेख वहां नहीं है, लेकिन विघटनकारी किसी तरह से काम कर रहे हैं और वह प्रायः सभी प्रान्तों में हैं। हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि ऐसे मौके पर, इस तरह की राष्ट्रीय चुनौतियों का एक स्वर से मिल-कर मुकाबला करें। ऐसे विघटनकारी लोगों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, इसमें दो मत नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात की भी मांग करनी चाहिए कि इन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे राष्ट्रीय गौरव और अखंडता की बात हो या राष्ट्रीय ध्वज की बात हो, या संविधान की बात हो या राष्ट्रीय गान की बात हो या राष्ट्रीय पर्व की बात हो, इनके विरुद्ध जो भी दुष्प्रेरक शक्तियां काम कर रही है, उनका सामना करने के लिये जिन चीजों का सुझाव दिया गया है, वे अपनी जगह पर अच्छी हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इन चीजों को केवल शासन के द्वारा या दंड विधान के द्वारा ही रोकना संभव नहीं है। इनका स्थाई समाधान कानूनों से नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल यह है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो विघटनकारी तत्व हैं, उनको भी हमें समझा लेना चाहिए और हमारे जो मित्र इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी विवेकपूर्वक समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय संविधान या राष्ट्रीय गौरव का सम्मान करना वे सीखें। हमारे यहां एक-एक देशवासी चाहे वे गरीब हो या अमीर हो, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई है। इसलिए जो ये कह रहे हैं, वह मैं समझता हूं कि उनके ऊपर बड़ा आघात है। गरीबों में राष्ट्रीय सम्मान किसी से भी कम नहीं है। चाहे हमारे हरिजन हों या आदिवासी, उनके मन में राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, राष्ट्रीय संविधान के लिए उतना ही आदर है जितना कि हम लोगों में है या आप लोगों में है। इस-लिए उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं, जो हमारी असमानताएं हैं, जो हमारी आर्थिक असामनताएं हैं, शैक्षणिक या दूसरी

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

सुविधाएं हैं, उनमें संविधान के अनुसार उनको पूरा अधिकार है, उनको अवसर मिलने चाहिए और उसके लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए और जब तक उनको पूरा अवसर नहीं मिलेगा। तब तक हम सबको उसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए।

श्रीमन्, मिश्र जी ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है वह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। लकिन मंत्री जी इस पर विचार करें कि यह जो प्रस्ताव है, क्या यह काफी है? इससे क्या उनको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी या इसे सविस्तार बनाकर वे ला सकेंगे क्योंकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा है, राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। इसमें चाहे संविधान की बात हो या राष्ट्रीय गौरव की बात हो या उसकी सुरक्षा का सवाल हो, या देश की अखंडता का प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों को क्या इतना संक्षेप में इस बिल के द्वारा आप दंडनीय प्रावधान करने से हल कर सकेंगे? क्या इतने से बिल से काम चल जाएगा या उसके लिए आप कुछ और सोचने को तैयार हैं? यह बहुत ही सराहनीय भावना है, बहुत ही ऊंचा विचार रखा गया है। लकिन क्या हमारे लिए और भी विचारणीय प्रश्न हैं क्योंकि इस तरह की घटनाएं, ऐसी अपेक्षाएं आज हमारे सामने हैं। आज लोग दुष्प्रेरित होकर या राजनीतिक भावनाओं से या अज्ञानतावश या कुछ धार्मिक कट्टरपन की वजह से या कुछ और कारणों से राष्ट्रीय गौरव की वस्तुओं का अपमान करें या देश को खंडित करें या इस प्रकार की जो दूसरी चीजें हैं, राष्ट्रीय समारोह हैं, उनका अपमान करें, तो इसके लिए सविस्तार एक ऐसा प्रावधान आप लाएं जो कि वास्तव में सारी वस्तुस्थिति को देखते हुए तैयार किया गया हो। इसके लिए एक विस्तृत कानून आप दोनों सदनों में विचार के लिए लाएं और उसको स्वीकार करें जिससे कि वास्तव में सही मायने में हम इन चीजों का जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, उनका समाधान कर सकें।

श्रीमन्, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि यह जरूरी हो गया है कि आज की परिस्थिति में जो हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र हैं, राष्ट्र के जो भावी नागरिक हैं, जिन पर देश की पूरी जिम्मेदारी आने वाली है, उन सब के प्रति हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उनको इस तरह की शिक्षा दें कि जिससे वह अपने घर में, समाज में, स्कूल-कालेज में राष्ट्रीय गौरव, देश की सुरक्षा और अखंडता, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान की सुरक्षा कर सकें। उसकी सुरक्षा करना, उसकी अभिवृद्धि का प्रयास करना हम सब का कर्त्तव्य होना चाहिए। यह हम सब कर सकते हैं अच्छी तरह से, यह हर भारतीय के नागरिक के दिल में हो। चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो लकिन मूल भावनाओं से प्रेरित होकर इन चीजों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह हमारा सुझाव है और हम आशा करते हैं कि मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री लोहन लाल धूसिया (उत्तर प्रदेश): मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे टाइम पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो यह कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। यह यूनिवर्सल है, चाहे अपना देश का हो या किसी और देश का हो राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सम्मान हर व्यक्ति में होता है केवल पागल को नासमझ कर छोड़ दें। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसमें राष्ट्रीय गौरव और सम्मान की भावना न हो। जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं उसे देखना पड़ेगा, इसके लिये हम यहां पर सरकार को घसीटेंगे। हमें यह जानना होगा कि उसने उसकी अवहेलना क्यों की, किन सरकमस्टेंसिज में की। क्या उसके निवारण के लिये सरकार ने कोई पहल की थी? उनकी अगर कुछ ग्रेवासींज थीं तो क्या उनको सुना गया था? क्या उसमें उनको समझाया गया था?

अगर ऐसी बातें नहीं हैं तो सरकार पर ही दोषारोपण आयेगा कि उनकी ग्रिवांसेज को सरकार ने नहीं सुना इसलिये वह संविधान के खिलाफ जा रहा है । चाहे हमारा झंडा हो या किसी और देश का झंडा हो वह देश को रिप्रेजेन्ट करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेंजेंट नहीं करता, किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है । कितने बड़े-बड़े सूफी संत हो गये हैं, गुरुनानक जी हुये हैं, रामनाथ हुये हैं, चैतन्य प्रभु हुये हैं लेकिन उन लोगों के नाम का झंडा अगर कहीं फहराया गया तो यह नहीं हुआ कि यह देश का झंडा हैं । उनके झंडे को देख कर कोई यह नहीं कहेगा कि यह देश का झंडा है । झंडा चाहे यूनियन जैक हो, चाहे कहीं का हो अगर कोई भी हमारा भाई किसी दूसरे देश में जाता है अगर वह अपने साथ अपने घर में जहां वह रहता हैं वह झंडा रखे हुये है तो लोग देखकर समझ जायेंगे कि वह फलां देश का निवासी है । उससे देश मालूम होता है । इसी तरह से अपना संविधान भी है । देश को रिप्रेजेंट करने के लिये झंडा काफी है समझदारों के लिये । इसी तरह से हमारा संविधान भी है । यह पूरे देशवासियों के लिये है लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि सरकार को जरूर देखना चाहिये । अगर कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठायी है तो इससे सरकार बच नहीं सकती है । सरकार को घूमफिर कर आना पड़ेगा कि आखिर इसको तकलीफ क्या है ? यह क्यों ऐसा कर रहे हैं । अपने देश के निवासी होकर अपने देश के झंडे के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, झंडे की अवहेलना क्यों हो रही है ? या तो उसको समझाना पड़ेगा या जैसे कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंड लाते हैं उसी तरह से इसके लिये भी अमेंडमेंट लाना होगा । दोनों एक साथ पटरी पर नहीं चल सकते । इसके लिये जो ताकत में होगा दोष उसी के सर जायेगा । हमारा भारत देश सेक्युलर है । यहां पर तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम विचारों के लोग हैं । तो यह नहीं कहा जा सकता कि जितने धर्म होंगे उतने ही देश के झंडे होंगे । यह कभी नहीं हो सकता । केवल इसी देश की बात नहीं है पूरे संसार की बात है । देश का प्रतीक झंडा ही होता है । चाहे आप कहीं जाइये, अपने झंडे के लिये लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं । जो लोग इस को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, अवहेलना करने की कोशिश करते हैं, वे अगर इसके सम्मान को नहीं समझते हैं तो समाज का यह कर्तव्य है, देश का यह कर्तव्य है, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनको समझाए कि इस झंडे के लिये लाखों लोगों ने कुर्बनियां दी हैं । यह झंडा किसी राजा का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है । यह बात हमें उसको जरूर समझानी पड़ेगी । जब तक वह इस बात को समझेगा नहीं, इसकी अवहेलना करता रहेगा । जिस दिन वह इस बात को समझ जायेगा, उस दिन अवहेलना करना बन्द कर देगा । मैं आपको सन 1942 की बात बताना चाहता हूं । उन दिनों हम लोग भी जेलखाने में थे । हम लोग नेशनल फ्लैग के लिये प्रार्थना करते थे । इस बात के लिये हम पर डंडे पड़े, हम लोगों ने डंडे खाये । उस वक्त हिन्दुस्तान में हुकूमत करने वालों में हिन्दुस्तानी भी थे । हम उनको क्या कहें, यही कह सकते हैं कि हुकूमत करने वालों में हिन्दुस्तानी भी थे । उनकी उन दिनों बहुत चलती थी । उन दिनों कुछ अफसर ऐसे भी थे जिन्होंने हम लोगों पर डंडे चलाये । वे हिन्दुस्तानी अफसर थे । इसलिये आपको आज भी देखना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते नहीं हैं, वे अभी खत्म नहीं हो गये हैं । वे चाहते हैं कि कहीं कोई झगड़ा हो और उसी झंडे पर वे अपनी लीडरी करना चाहते हैं । ये ही लोग तमाम खुराफात पैदा करते हैं। अब यह बात तो सरकार पर निर्भर करती है कि वह इन लोगों को समझाये । केरल में कुछ इस प्रकार की आवाज उठी थी । यह तो सरकार को बताना पड़ेगा कि ये लोग कौन थे । ये चीजें एक दिन में खड़ी नहीं होती हैं, एक दिन में शुरू नहीं होती हैं । अगर वहां की सरकार जागरूक रही होती तो यह चीज पैदा ही नहीं होती । यहां वहां की सरकार का नकारापन था जो इस चीज का पहले से ही पता नहीं कर सकी । इतने दिनों के बाद यह चीज सामने

[श्री सोहन लाल धूसिया]

आई । कोई भी झगड़ा एक दिन में पैदा नहीं होता है । अगर सरकार जागरूक रहती तो यह स्थिति नहीं आती । इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे हिन्दुस्तान में एक बवेला खड़ा हो गया । ऐसे मामले में अगर कोई समझाने पर भी नहीं मानता है तो सरकार को इस पर सुलह भी नहीं करनी चाहिये । एक दो आदमियों के कहने से या एक दो जगहों पर झगड़े, हड़ताल या नारे लगाने से सरकार को ऐसे मामलों में सुलह नहीं करनी चाहिये और झंडे के अपमान को सहन नहीं करना चाहिये । अगर कोई झंडे का सम्मान नहीं करता तो पहले उसको मनवाना पड़ेगा, जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहले भागने लगता है । जब उसको फुसलाया जाता है तो वह समझने लगता है । लेकिन अगर फुसलाने पर भी नहीं मानता है तो उसको कुछ डराया जाता है और कभी कभी पढ़ाई करने के लिए मारा-पीटा भी जाता है । जब उसकी समझ में आने लगता है तो वह पढ़ने लगता है । इसी तरह से सरकार को भी इन लोगों को पहले समझाना पड़ेगा । इस संबंध में कुछ बातें ऐसी हैं जिनके विषय में मेरे पूर्व-वक्ता ने कहा हैं । हमारे संविधान में अमीर-गरीब सब को बराबर का हक दिया गया है । लेकिन अगर कोई मुट्ठी भर लोग सारे अधिकारों को अपने कब्जे में लें, संविधान की अवहेलना करने लगें तो यह बहुत गलत बात है । ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में आप जितनी देर करेंगे उतना ही देश का नुकसान होगा । इस झंडे के लिये कितने ही लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और इस झंडे को झुकने नहीं दिया । मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि पटना में 11–12 आदमियों की जान चली गई । इसी तरह से हर प्रान्त में हुआ था । लेकिन जब झंडा अपना आ जाता है तो उसके बाद संविधान भी आ जाता है । संविधान की अवहेलना अगर कुछ चंद लोग करेंगे तो झंडे की अवहेलना जो दूसरे तबके के लोग कर रहे हैं वह भी करेंगे । इसलिए दोनों पर समझौता करके चलना पड़ेगा । महोदय, इस बिल की धारणा बहुत अच्छी है लेकिन यह परिपक्व नहीं है । इसमें बहुत सी कमियां हैं जिनको दूर करके पूरी तरह से इसको लाना पड़ेगा । हमारे यहां तो कहा जाता है कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्', सब को अपने परिवार के बराबर समझो, सबको एक समान समझो, लेकिन अगर यहीं पर भेदभाव हो जायेगा तो फिर यह नारा कहां चला जायेगा । इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जहां भी अवहेलना हुई है उसको सरकार देखे । यह चीज अच्छी नहीं है । अवहेलना नहीं होनी चाहिए । लेकिन साथ ही उन कारणों को भी सरकार को देखना पड़ेगा दूर करना पड़ेगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस चीज को देखे । मिश्रा जी को, जिन्होंने इस बिल को मूव किया है उनको मैं धन्यवाद देता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : श्री हयातुल्ला अन्सारी । 4–5 मिनट में आपको खत्म कर देना है ।

श्री हयातुल्ला अन्सारी (नाम निर्देशित) : मैं तो कम बोलूंगा, थोड़ी सी बात कहूंगा ।

एक तो यह कि झंडे के ऊपर एक वाक्या याद आ गया है उससे समझ लीजिए कि झंडे की इज्जत लोगों के दिलों में कितनी थी । यू०पी० प्रोविंशियल कांग्रेस का इजलास हो रहा था । जवाहर लाल नेहरू भी मौजूद थे । एक बहुत बड़े बांस पर झंडा लगाया गया था । लेकिन उसमें कुछ ऐसा फंस गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई झटके दिये लेकिन वह नहीं खुला । सब घबरा गये कि क्या किया जाये । या तो बांस को खोदा जाय । सब घबरा गये, परेशान हो गये कि क्या किया जाय । प्रश्न यह था कि क्या करें ताकि झंडा फहराया जा सके । इतने में एक 11 वर्ष का बच्चा आया और कहने लगा कि मैं खोल दूं । उसको कहा कि अगर खोल सको तो खोल दो । उसने बांस पर चढ़ना शुरू किया । चढ़ते वक्त बांस हिल रहा था । वह ऊपर गया, खोला और खोलकर खिसककर वह नीचे आया । वहां पर जवाहरलाल नेहरू थे । उन्होंने उससे पूछा कि बेटे अगर तुम गिर पड़ते तो क्या होता तो उसने कहा कि शहीदों में मेरा नाम भी आ जाता । यह एक 11 वर्ष के बच्चे का जवाब था ।

समझ लीजिए कि उस जमाने में झंडे की या इज्जत थी ।

अब मैं आपको, राम अवधेश सिंह जी चले गये, मैं हरिजनों के बीच 50 साल से काम कर रहा हूं और एजुकेशन में, एडल्ट एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों का काम कर रहा हूं । मेरा एक मैथड है और मैं चाहता था कि ट्राई करूं और देखूं कि सबसे नीचे के वर्ग के लोगों में यह कैसे हो सकता है। तो मैं हरिजनों के बीच में काम करता रहा हूं और जो ट्रांस जमुना एरिया है वहां पर मेरा काम चल रहा है, वहां पर क्लासेज चल रही हैं। मैं वहां 50 साल से जाता रहा हूं। मैं राइटर भी हूं, जर्नलिस्ट भी हूं और मैं देखता रहा हूं कि कैसे उनकी जिन्दगी बदल गई है इसका तसव्वुर भी राम अवधेश सिंह नहीं कर सकते हैं । पहले जब हम गांवों में जाते थे तो हरिजन, एक भी हरिजन चप्पल पहने नजर नहीं आता था लेकिन आज वहां एक भी हरिजन बिना चप्पल पहने नजर नहीं आता है, नंगे पांव नजर नहीं आता है। बाजार गिते थे। पहले क्या था और अब ट्रांजिस्टर वहां बिकते हैं, लिपिस्टिक बिकती है का कि वे कभी ख्वाब भी नहीं देखते थे इतना बदल गया है।

एक और बात मुझे कहनी है वह है राष्ट्रीय एकता के बारे में । उर्दू की जो मुखाफलत है, चाहे वह रिलीजन की हो या लेंग्वेज की, वह खत्म हो जानी चाहिए । वाजपेयी जी खूब शेर पढ़ते हैं उर्दू के इतने कि जितने मुझे भी याद नहीं हैं। लेकिन उर्दू जुबान अरबी हो गई उर्दू की मुखाफलत जो है इससे वातावरण बदलता है, फिजा बदलती है और उर्दू बोलने वाले यह समझते हैं कि वे पूरी तरह से हिन्दुस्तानी नहीं हैं । हम सब इंडियन हैं जब मैं हवाई जहाज में होता हूं तो अपने को इंडियन समझता हूं । दूसरी बात, जो किताबें आती हैं, जो नई टेक्नीक की किताबें हैं वे अंग्रेजी में होती हैं । क्या अंग्रेजी फारेन भाषा हो गई । इसके अंदर जो चीज है वह चलने वाली चीजें नहीं हैं । तो पूरा एटीट्यूड जो हमारा है उसको हमें बदलना होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा । मुखालफत बढ़ाने से फायदा नहीं होगा देश का नुकसान होगा । अभी लेखक संघ ने अपने लखनऊ के इजलास में कहा है कि उर्दू की मुखालफत गलत है । इसका मतलब तो यह है कि हम हिन्दी की भावनाओं का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं । ऐसी चीज नहीं है बल्कि हमें उससे मुहब्बत करनी है सब से मुहब्बत करनी है। पहली चीज तो यह है कि जो राइटर हैं लेखक हैं या एडीटर हैं इन नफरतों को छोड़ दें। यह जो बिल आया है मुझे बहुत पसन्द है। जैसे अभी राम अवधेश सिंह जी ने पढ़ कर सुनाया इसमें राइटिंग बहुत खराब है, कई कमजोरियां हैं इसलिए इसको फिर से बनाया जाए तो हो जाएगा लेकिन मैं यह जरूरी समझता हूं कि अगर कानून से राष्ट्रीय झंडे की हमने हिफाजत नहीं की कौमी गीत की और अपने संविधान की हिफाजत नहीं की इसकी हिफाजत न करना खुद इस पर एक इल्जाम है उसकी तोहीन है। जैसे बड़ों के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसको हम रोकते हैं और रोकना जरूरी भी है मगर कानून को इसमें आगे आना चाहिए और रोकना चाहिए । इतना ही मुझे कहना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, the honourable Minister. Yes, Mr. Panigrahi.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Please try to be brief.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes. Please be brief so that Mr. Vajpayee's Bill can be moved.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Mr. Vice-Chairman, Sir, we are extremely grateful to the Mover of this Bill, Shri Sheo Kumar Mishra. We ourselves and the entire House share his feelings in upholding the honour and integrty of the nation.

I also thank Shri Kidwai, Dr. Faguni Ram, Sbhanlalji, Rameshwar Thakurj* and Ansariji who have added their voices,

[Shri Chintamani Panigrahi] powerful voices, for upholding the honour and integrity of our country.

Sir, I was listening to the speeches made by Shri Gopalsamy and Shri Ram Awadhesh Singh. I thought from thei tenor of those speeches that they betrayed the kind of expressions which will not get, when they go outside, so much honour and respect which they get here.

Sir, so far as Mr. Gopalsamy is concerned, I have always found him to be a double personality. When he is outside the Chamber, he is very sweet and very amiable. But, Sir, inside the Chamber, he is a charged personality and he is always surcharged emotionally.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): On some occasions.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, in my long years of public life, of more than fifty years, I have found that such things are normal in a democratic structure and I am accustomed to them and we are accustomed to them. But I think he did not say anything about protecting the national honour or our National Flag or the symbol and the Constitution. But whatever he said was about Sri Lanka and then about the Tamil language. Sir, Tamil is a sweet language and it is one of the flowers in the Indian garden and there is no dispute about it. But his ultimate arrow was against the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, and every word goes against the Prime Minister. So, I thought that perhaps it was irrelevant and his speech indicated that he was addressing some public meeting in Tamil Nadu and was trying to see what he would project in Tamil Nadu when the elections come. Let us see how the people of Tamil Nadu will react and whether they will accept whatever utterances he has made in this House. When he was speaking, I thought that the Chair had allow him to make some Special Mention and I felt that he was asking for special permission for making a Special Mention. But when I heard his speech, I was reminded of a story.

Sir, I was travelling in a train once in the AC Chair Car. Suddenly, a gentl"man, a passenger, got up and asked other passengers, "Can you tell me hi. age?". Everybody was taken by surprise and was wondering what his exact age would be and they asked; What is the problem? Why do you want us to tell your age?". At that time, one student! was sitting there and he said, "Uncle, I will tell you your correct age.". That gentleman asked: "How can you[1] tell my age?". The student said, "There is no problem. Your age is 48.". He asked, "How could you know it?" He replie "There is no difficulty. Three months ago I travelled in the same compartment and then another passenger came, asked about his age. All his utterances were half-inconsistent and his age was found to be 24. All your utterances are fully inconsistent. Therefore, your age must be 48—24 multiplied by 2. So there is no difficffiulty about it". Therefore Sir, we are accustomed to hearing sue inconsistent and irrelevant speeches.

THE VICE CHAIRMAN (SHR IAGESH DESAI): You may ignore this.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHT It betrays lack of understanding in holding the sanctity and noble oh expressed in this Bill. Therefore)***" strongly refute all the insinuations that the honourable member Shri Gopalsamy has made against the Government. The policies of the Government are being pursued correctly for safeguarding the integrity and unity of our country and for consolidating democratic, progressive and peace-loving forces, not. only in our country but all over the world under the able leadership of our Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. I will again strongly refute his insinuation that. the Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, has exhibited a dictatorial attitude. I must say that he is the democrat of democrats and his stra-, tegy has been to find solutions to problems through dialogue and consensus.

Now, Sir, about the objective of this Bill, it has been expressed by all the Mem-

bers. I simply add my voice to it. The National Flag, the National Anthem and >e. National Emblem are the three sys-bols of independence, identity and sovereignty of a nation. The entire history, thought and culture and aspirations of a nation are manifest in them. Thus they command spontaneous respect and loyalty from its citizens beyond all religious and linguistic considerations. The Flag, as the late Smt. Indira Gandhi said, "is not merely a piece of cloth. It is a symbol of the sacrifices made in our struggle for freedom, later of the sacrifices by our brave soldiers on our borders in various wars and now, of those who with thsir hard labour are engaged in the struggle for India's progress". Similarly, the National Anthem is the expression of the aspirations and unity and the dreams of a people. It was an integrating force right from Punjab to West Bengal and from Kanyakumari to Kashmir. And similarly, the National Anthem also is our symbol, our pride, our heritage, our culture. These, then, are our national symbols which are the insignia of our nation and which we have to cherish, honour and protect.

Our Prime Minister has also made it i- that national symbols of the cotin--rrycannot be allowed to be pulled down or destroyed. He made it clear that the symbols will not be allowed to be reduced in value or cut down. He also stated that the Supreme Court judgment was not acceptable and, therefore, we have appealed against it. Lastly he made it absolutely clear that all legal means that are available will be used to protect national honour and, if need be, constitutional means would be used to see mat protection is ensured.

Therefore, our position has been made very clear.

Now, so far as this Bill is concerned, as some hon. Members have pointed, it is not very well drafted and it does not contain all the ramifications. We have appealed against the judgement of the Supreme Court. The case is *sub jtidice.*

Therefore, we fully appreciate the sentiments expressed by all the sections and Members of the House in the Lok Sabha, in the Rajya Sabha and throughout the country. We pledge ourselves to protect the integrity and honour of our symbols, our flag and our Constitution. Whatever measures are necessary would be taken. Thei Government stands committed to all these things. We are waiting for the judgement on our appeal and after that all the sentiments that have been expressed in this House will be taken into consideration. We cannot accept this Bill because it is not drafted very carefully. Therefore, I would request the hon. Member to withdraw the Bill.

श्री शिव कुमार मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक के संबंध में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है तथा अपने विचार व्यक्त किये हैं, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूं और बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, जो यहां पर कही गई। खास कर हमारे माननीय मित्र राम अवधेश सिंह जी और श्री वी० गोपालसामी जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनका उत्तर देना चाहता था, लेकिन यहां पर समय नहीं है और माननीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके निर्देशानुसार मैं अपने इस विधेयक को वापिस लेता हूं।

The Hill was, by leave, withdrawn,

The Constitution (Amendment) Bill, 1987 (to amend Artcle 134). .

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।